Indian Polity

राजनीति की मूलभूत अवधारणाएँ

- देश → भौगोलिक इकाई
- राष्ट्र → सांस्कृतिक इकाई { भाषा, वेशभुषा, खानपान }
- राज्य → राजनीतिक इकाई → भूभाग, जनसंख्या, सरकार, सम्प्रभुता

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त

- राजत्व का दैविय सिद्धान्त
  - ↓ राजा → ईश्वर का प्रतिनिधि
  - ↓ उसके आदेशों को लागु करवाता है
- सामाजिक समझौते का सिद्धान्त
  - ↓ लॉक, हॉब्स, रूसो } → दिया
  - लोगों ने राजा को अधिकार दिये
  - राजा ने लोगों की सुरक्षा → गारंटी
- शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त
  - ↳ मान्टेस्क्यू ने दिया (फ्रांसीसी)
  - लोकतंत्र
  - ↓ शासन की तीनों शक्तियों विकेन्द्रीकरण

लोकतंत्र

- विधायिका
  - संसद
  - राज्यविधान मण्डल
- कार्यपालिका
  - स्थायी नौकरशाही
  - अस्थायी मंत्रिपरिषद
- न्यायपालिका
  - S.C व H.C

संसद

- L.S.
- R.S. ← दोहरी विधायिका
- L.S., R.S. → M.P. → कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ← दोहरी कार्यपालिका

राज्यविधानमण्डल

- विधान सभा MLA ← दोहरी विधायिका
- विधान परिषद MLC
- MLA, MLC → अस्थाई कार्यपालिका → दोहरी कार्यपालिका

↳ भारत में शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं

- संसदीय शासन व्यवस्था
- संविधान सर्वोच्च

↳ ब्रिटेन में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं

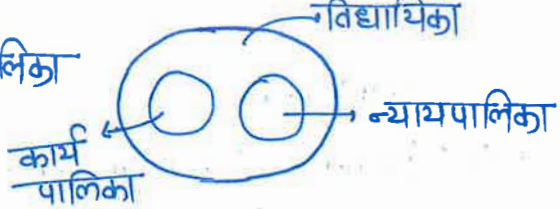

- संसदीय शासन
- संसद सर्वोच्च

↳ USA → शक्तियों स्पष्ट पृथक्करण

↓ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था

संविधान सभा :-

संविधान सभा की माँग

- 1895 → बाल गंगाधर तिलक
- 1922 → महात्मा गाँधी
- 1928 → नेहरू समिति
- 1934 → M.N रॉय
- 1935 → कांग्रेस ने
- J.L. नेहरू → 1938 (वयस्क मताधिकार)
- 1940 अगस्त प्रस्ताव
- 1942 क्रिप्स मिशन (अप्रत्यक्ष चुनाव)
- 1946 कैबिनेट मिशन (संविधान सभा निर्वाचन)

पार्टी के रूप में सबसे पहले माँग → स्वराज पार्टी

संविधान सभा का निर्वाचन

(जुलाई-अगस्त 1946 - चुनाव)
(10 लाख लोगों - 1 प्रतिनिधि)

↓ निर्वाचन मण्डल → प्रान्तीय विधानमण्डल → निम्न सदन के सदस्यों द्वारा

निर्वाचन पद्धति → आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत द्वारा

कुल सदस्य → 389

- ब्रिटिश भारत में निर्वाचन (296)
  - प्रान्तों → 292
  - उच्चायुक्त प्रांतों (4) → अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, बलुचिस्तान
- रियासतों से मनोनित → 93

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

- मुस्लिम सिटे → 78
- सिक्ख सिटे → 4
- सामान्य - 210

कुल - 292

चुनाव परिणाम

- 208 सिटे → कॉंग्रेस
  - 199 सामान्य
  - 3 सिक्ख
  - 3 मुस्लिम
  - 3 उच्चायुक्त प्रांत
- 73 मुस्लिम लीग
- 8 निर्दलीय उम्मीदवार

- → संविधान सभा बहुदलीय निकाय
- → गाँधीजी व जिन्ना → चुनाव नहीं
- → जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रु → इस्तीफा दे दिया
- → चुनावों में 15 महिला सदस्य जीती

* संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक :-

1) 9 दिसम्बर 1946 (प्रथम बैठक)

- मुस्लिम लिग ने संविधान सभा → बहिष्कार किया
- सदस्य → 207 (9 महिलाएँ)
- उद्घाटन → आचार्य कृपलानी
- अस्थाई अध्यक्ष → सच्चिदानन्द सिन्हा

2) 11 दिसम्बर 1946 (तीसरी बैठक)

- स्थायी अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष → H.C मुखर्जी (V.T. कृष्णमाचारी)
- संविधान का पहला प्रारूप → B.N. राव

Springboard Academy

3) 13 दिसम्बर 1946 (संविधान सभा की पाँचवी बैठक)

↳ जवाहर लाल नेहरू → उद्देश्य प्रस्ताव रखा → 22 Jan. 1947 → पारित

↓

विशेषताएँ

1) भारत
- स्वतंत्र
- सम्प्रभु
- गणराज्य

2) भारीय संघ क्षेत्र
- प्रांत
- रियासत
- अन्य भारीय क्षेत्र → गोवा
- स्वेच्छा

3) राज्यो
- स्वायतता
- अवशिष्ट शक्तियाँ

4) शक्तियों का स्त्रोत जनता

5) न्याय
- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनीतिक

6) संरक्षण
- अल्पसंख्यक
- पिछड़े व जनजातिय क्षेत्र
- सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग

स्वतंत्रता
- विचार
- अभिव्यक्ति
- विश्वास
- धर्म
- उपासना
- व्यवसाय
- संघ बनाने कार्य

समता
- प्रतिष्ठा
- अवसर
- विधि के समक्ष

7) भारत
- अखण्डता
- सम्प्रभुता
  - थल
  - जल
  - नभ
  - बनाए रखना

8) विश्व शांति व मानव कल्याण

संविधान सभा की समितियाँ → कुल - 22, मुख्य - 8

1) संघीय संविधान समिति
2) संघीय शक्ति
3) भारतीय राज्यों के लिए
4) संविधान के ड्राफ्ट की जाँच हेतु विशेष
↓
पण्डित जवाहर लाल नेहरू (अध्यक्ष)

5) प्रक्रिया की नियम
6) राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ समिति
↓
अध्यक्ष
↓
डॉ राजेन्द्र प्रसाद

7) संविधान सभा की कार्य समिति
↓
अध्यक्ष
↓
G.V. मावलंकर

8) प्रांतीय संविधान
- अध्यक्ष
  ↓
  सरदार वल्लभ भाई पटेल

9)
- अल्पसंख्यक
  ↓
  उप समिति
  ↓
  H.C. मुखर्जी
- F.R.
  ↓
  उपसमिति
  ↓
  J.B. कृपलानी
- जनजातियाँ
  - N.W. सीमा प्रांत ×
  - असम
    ↓
    गोपिनाथ बारदोलाई
  - बाकी भारत
    ↓
    A.V. ठक्कर (अध्यक्ष)

प्रारूप समिति → (29 अगस्त 1947)
1) अध्यक्ष → डॉ. भीमराव अम्बेडकर
2) N. गोपालस्वामी आयंगर
3) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
4) मोहम्मद सादुल्लाह
5) K.M. मुंशी
6) एन. माधव राव (B.L मित्र → त्यागपत्र के बाद
7) T.T. कृष्णामाचारी (1948 D.P. खेतान ↓ मृत्यु के बाद)

↳ प्रारूप समिति ने लगभग → 60 देशों ↓ संविधान पढ़ा

↳ सभा से तीन पठन में पारित (संविधान)
- प्रथम पठन → 4 Nov. 1948 – 9 Nov. 1948
- द्वितीय पठन → 15 Nov. 1948 – 17 Oct 1949
- तृतीय पठन → 14 Nov. 1949 – 26 Nov. 1949

Springboard ACADEMY

26 Nov. 1949
- संविधान पारित हुआ
- 26 Nov. संविधान दिवस
- 15 भाग लागू
  - नागरिकता — भाग 5, 6, 7, 8, 9
  - राष्ट्रपति शपथ — भाग 60
  - निर्वाचन आयोग — भाग 324
- 284 सदस्यों → संविधान पर sign

24 Jan. 1950
- संविधान सभा अंतिम बैठक
- राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत → स्वीकृति

26 Jan. 1950
- भारतीय संविधान लागू
- प्रथम राष्ट्रपति → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (शपथ)
- गणतंत्र दिवस

22 July 1914
- राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता

13 May 1949
- संविधान सभा → राष्ट्रमंडल सदस्यता

राष्ट्रपति का निर्वाचन (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)

संविधान सभा – भंग → लेकिन विधायिका के रूप (1952 तक)

संविधान बनने में
- 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
- सत्र – 11
- बैठकें → 165

संविधान सभा अस्तित्व
- 3 वर्ष 1 माह 16 दिन
- सत्र – 12
- बैठकें – 166

15 Aug. 1947
- संविधान सभा → सम्प्रभु निकाय
- दोहरी भूमिका
  - संविधान निर्माण → 24 Jan 1950 → अध्यक्ष – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
  - विधायिका → 1952 तक → अध्यक्ष → G.V. मावलंकर
- सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई
  - ब्रिटिश → 229
  - रियासतों → 70

Raj → सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली रियासत → जयपुर (3)
भारत → मैसूर से (7)
भारत – राज्य → सर्वाधिक सदस्य → संयुक्त प्रांत

संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य
- जयपुर
  - V.T. कृष्णामाचारी
  - हीरालाल शास्त्री
- जोधपुर
  - जयनारायण व्यास
  - C.S वेंकटाचारी
- अजमेर मेरवाड़ा → मुकुट बिहारी भार्गव
- उदयपुर
  - माणिक्य लाल वर्मा
  - V. राघवाचारी → बलवन्त सिंह मेहता
- शाहपुरा → गोकुल लाल असावा
- बीकानेर
  - KM पणिकर → जसवन्त सिंह
- खेतड़ी → सरदार सिंह
- अलवर → रामचन्द्र उपाध्याय
- कोटा → दलेल सिंह
- भरतपुर → राज बहादुर

अंतरिम सरकार
- घोषणा → 24 अगस्त 1946
- गठित → 2 Sep. 1946 → 1957 तक
- अध्यक्ष → वेवेल
- उपाध्यक्ष → पंडित जवाहर लाल नेहरू
- P.M. → पंडित जवाहर लाल
- गृह मंत्री → सरदार वल्लभ भाई पटेल
- खाद्य मंत्री → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रस्तावना (उद्देशिका)

हम भारत के लोग → सम्प्रभुता

भारत →
- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
- समाजवादी
- पंथनिरपेक्ष
- लोकतंत्र
- गणराज्य

न्याय →
- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनीतिक

समानता →
- प्रतिष्ठा
- अवसर

बन्धुता →
- व्यक्ति की गरिमा
- एकता व अखण्डता

स्वतंत्रता →
- विचार
- अभिव्यक्ति
- विश्वास
- धर्म
- उपासना

26 Nov. 1949 →
(मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत् दो हजार छह विक्रमी)
- अंगीकृत
- अधिनियमित
- आत्मार्पित

15 Aug. 1947 (स्वतंत्र हुआ) → 26 Jan 1950 (सम्प्रभु बना)

भारत डोमिनियन स्टेट
- भारत शासन act 1935 → संविधान के रूप में
- रियासतों के विलय → वायसराय मध्यस्थ

(प्रस्तावना) → S.C.
- बेरुबाड़ी वाद 1960 → प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं
- केशवानन्द भारती वाद 1973 → प्रस्तावना
  - संविधान की व्याख्या
  - संविधान भाग
  - शक्ति का स्रोत
  - न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
- LIC वाद 1995 → प्रस्तावना संविधान का भाग

केशवानन्द भारती वाद – 1973 → प्रस्तावना में संशोधन

42 C.A. → 1976 → प्रस्तावना में संशोधन द्वारा
- समाजवाद
- पंथनिरपेक्षता
- अखण्डता

शब्द जोड़े

प्रस्तावना के स्रोत
- प्रथम पंक्ति → U.S.A.
- प्रास्तावना का प्रारूप → ऑस्ट्रेलिया
- न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) → रूस
- स्वतंत्रता, बन्धुता, समता, गणतंत्र → फ्रांस

तथ्य :-
- संविधान की मूल आत्मा → ठाकुरदास भार्गव, M. हिदायतुल्ला
- कुंजी नोट → बार्कर
- संविधान का परिचय पत्र → नानी पालकीवाला
- जन्मकुण्डली → K.M. मुंशी
- प्रस्तावना संविधान में सबसे अंत में जोड़ा गया

भारत का एकीकरण

प्रथम-चरण :— देशी रियासतों का विलय

- **कश्मीर** → हरिसिंह (डोगरावंश) → 27 oct. 1947 → विलयपत्र
- **जुनागढ़** → महावतखाँ → Feb. 1948 → जनमत संग्रह
- **हैदराबाद** → उस्मान आसफ अली खाँ → Nov. 1948 → पुलिस कारवाई (ऑपरेशन पोलो)
- **मणिपुर** → राजा बोधचन्द्र सिंह → 21 Sep. 1948 → विलय पत्र पर Sign

द्वितीय-चरण :— विदेशी शक्तियों के अधीन प्रदेश / क्षेत्र :—

- **फ्रांस**
  - चन्द्रनगर → 1948 जनमतसंग्रह 97% लोगों भारत में विलय का समर्थन → 2 feb 1951 → भारत → हस्तांतरित → 2 oct 1954 → प. बंगाल विलय
  - पुडुचेरी → 1954 में मुक्त (14 C.A. 1962) → पुडुचेरी (UT)
- **पुर्तगाल**
  - दादर नगर हवेली → 1954 मुक्त (10 C.A. → 1961) → दादर नगर (UT)
  - गोवा व दमन दीव → 1961 मुक्त (ऑपरेशन विजय) (12 C.A. → 1962) → गोवा + दमन दीव (UT)

तृतीय-चरण :— सिक्किम का विलय ⟶ चोग्याल वंश

- रक्षित राज्य → विदेश मामले, रक्षा, संचार
- सिक्किम शासन 9 oct 1974 → भारत राजनीति में भाग
- 35 C.A. → 1974
  - सिक्किम → सहायक राज्य
  - Art 2(A) } अनुसूची - 10वीं } → जोड़े
- 1975 ⟶ जनमतसंग्रह (99%)
- 36 C.A. → 1975 → सिक्किम → पूर्ण विलय
  - → Art 2(A), 10वीं अनुसूची समाप्त

* राज्यों का पुनर्गठन :—

स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस → भाषा के आधार राज्यों की माँग

1) होमरूल आन्दोलन में
2) 1920 → भाषा के आधार → प्रान्तीय समितियाँ
3) 1946 → चुनावी घोषणा पत्र में

* S. K. धर आयोग 1948 ⟶ सुझाव → निम्न आधारों पर राज्यों का गठन
  - → सदस्य → जगतनारायण पन्नालाल
  - भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ⟶ अस्वीकार

1) प्रशासनिक सुविधा
2) भौगोलिक समीपता
3) वित्तीय आत्मनिर्भरता
4) विकास

Springboard ACADEMY

J.V.P समिति 1948 :— सदस्य → पण्डित जवाहर लाल नेहरू
सरदार वल्लभ भाई पटेल
पट्टाभि सीता रम्मैया

कार्य → S.K धर आयोग की समीक्षा

भाषायी आधार → अस्वीकार

26 Jan. 1950 भारत में राज्यों की स्थिति (29 राज्य)

4 श्रेणियाँ

श्रेणी-A → प्रांत (9 राज्य)
असम, बिहार
बॉम्बे, मध्य प्रांत
मद्रास, उड़ीसा
पंजाब, संयुक्त प्रांत
प. बंगाल

श्रेणी-B → विधानमंडल वाली पूर्व देशी रियासतें (9 राज्य)
हैदराबाद, J&K
मध्य भारत, मैसूर
पटियाला और पूर्वी पंजाब
Raj., सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश
ट्रावनकोर-कोचीन

श्रेणी C → चीफ कमिश्नर प्रांत व देशी रियासतें (10 राज्य)
अजमेर, कुर्ग, दिल्ली
भोपाल, बिलासपुर
कूच-बिहार, कच्छ
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर
त्रिपुरा

श्रेणी-4 → अण्डमान निकोबार द्वीप समूह

→ 1953 → आन्ध्रप्रदेश → भाषायी आधार → गठित राज्य

फजल अली आयोग → 1953

सदस्य → K.M. पणिकर
हृदयनाथ कुँजरू

1955 → सिफारिशें रखी

1) भाषायी आधार स्वीकार
↳ लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं

2) आधार → • राष्ट्र → एकता, अखण्डता, सुरक्षा
• भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता
• आर्थिक, वित्तिय, प्रशासनिक विकास
• आयोजन को बढ़ावा → जनता का कल्याण

3) दो श्रेणियाँ बनाने की (राज्य, UT)

4) 16 राज्य व 3 UT सिफारिश

7वाँ C.A. → 1956

1 Nov 1956 लागू → संविधान के भाग 7 व 9 निरस्त

14 राज्य
6 UT गठन

1 Nov. 1956
- 14 राज्य
- 6 UT

1960 बॉम्बे → महाराष्ट्र, गुजरात

1961-62
- दादर नगर हवेली
- गोवा
- दमनदीव
- पुडुचेरी

1963 → नागालैण्ड (13 C.A.)

1966 → पंजाब → पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ (UT)

1971 → हिमाचल प्रदेश (राज्य)

1972
- मणिपुर
- त्रिपुरा
- मेघालय
- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम → UT

1975 → सिक्किम

1987 → राज्य
- अरुणाचल
- मिजोरम
- गोवा

2000
- M.P. → छत्तीसगढ़
- U.P → उत्तराखण्ड
- बिहार – झारखण्ड

2014 → आन्ध्रप्रदेश → तेलंगाना

2019 → J&K → J&K, लद्दाख (UT)

2020 → दादर नगर हवेली + दमन दीव → (UT)

संविधान के स्रोत

- **कनाडा** :
  - अवशिष्ट शक्तियाँ → केन्द्र
  - राज्यपाल पद ← नियुक्ति
  - S.C. की परामर्शी अधिकारिता (Art 143)

- **ब्रिटेन** → संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था
  - विधि के समक्ष समता
  - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
  - विधायी प्रक्रिया
  - एकल नागरिकता
  - CAG
  - मंत्रीपरिषद् का निम्न सदन → सामुहिक उत्तरदायित्व → L.S.
  - रिट
  - मंत्रीमण्डलीय व्यवस्था

- **USA** →
  - हम भारत के लोग
  - मूल अधिकार
  - विधि का संरक्षण
  - विधि की सम्यक प्रक्रिया
  - राष्ट्रपति → महाभियोग
  - उपराष्ट्रपति पद
  - जनहित याचिका (PIL)
  - स्वतंत्र न्यायपालिका
  - न्यायिक पुनरावलोकन
  - S.C. व H.C. जजों हटाने की
  - न्यायिक सक्रियता

- **फ्रांस** → गणतंत्र
  - प्रस्तावना में → स्वतंत्रता, समानता, बंधुता

- **रूस** → मूल कर्तव्य
  - न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक)
  - आयोजना

- **ऑस्ट्रेलिया**
  - प्रस्तावना
  - संसद - दोनों सदनों → संयुक्त बैठक
  - समवर्ती सूची
  - अन्तर्राष्ट्रीय संधि → लागू → केन्द्र → राज्य सूची विषय पर कानून
  - व्यापार, वाणिज्य स्वतंत्रता

- **जापान** → विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

- **जर्मनी** →
  - आपातकाल (संघ) → F.R. का निलम्बन

- **दक्षिण अफ्रीका** → संविधान संशोधन
  - R.S. सदस्यों का निर्वाचन

- **आयरलैण्ड** →
  - DPSP
  - राष्ट्रपति चुनाव
  - राज्यसभा → सदस्यों का मनोनयन

- **भारत सरकार act 1935**
  - से ⅔ संविधान लिया

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ :—
- मूल रूप से – 8
- वर्तमान में – 12

1) प्रथम अनुसूची :— राज्यों + संघशासित प्रदेशों
- → नाम + सीमाएँ

2) द्वितीय अनुसूची :— संचित निधि पर भारित वेतन
- भारत → S.C. जज, CAG, राष्ट्रपति, LS – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, R.S सभापति, उपसभापति, H.C जज – पेंशन
- राज्य → गवर्नर, विधानसभा – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, H.C. जज, विधानपरिषद – सभापति, उपसभापति

3) तीसरी अनुसूची :— शपथ का प्रारूप
- → MLA/MLC/MP – उम्मीदवार → सदस्य
- → मंत्री → केन्द्र, राज्य
- → H.C + S.C → जज
- → CAG.

4) चौथी अनुसूची :—
राज्यों + केन्द्रशासित प्रदेश
- → राज्यसभा सीटें

5) पाँचवी अनुसूची :— अनुसूचित क्षेत्रों + अनुसूचित जनजातियों
- → 10 राज्य
- → प्रशासन + नियंत्रण के प्रावधान

6) छठी अनुसूची :—
असम + मेघालय + मिजोरम + त्रिपुरा
- → जनजातिय क्षेत्रों का प्रशासन + नियंत्रण

7) सातवीं अनुसूची :— विधायी शक्तियों का बँटवारा

	शुरुआत में विषय	वर्तमान
संघ सूची (संसद)	97	*98/100
राज्य सूची (राज्य विधानमण्डल)	66	*59/61
समवर्ती सूची (संसद + विधानमण्डल)	47	52

- → 42. C.A. → 1976 → 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती में
  - F – वन
  - E – शिक्षा
  - W – वन्य जीव
  - J+A – न्यायिक प्रशासन
  - W – नापतौल इकाईयाँ

जो विषय तीनों सूची में नहीं → अवशिष्ट विषय
- ↓ कानून
- ↓ संसद (Art 248)

8) आठवीं अनुसूची :— संविधान → भाषाएँ
- पहले – 14
- वर्तमान 22
  - कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ओडिया, बांग्ला, असमिया, सिंधी (21 CA – 1967)
  - कोंकणी + मणिपुरी + नेपाली (71 C.A. – 1992)
  - बोडो + डोगरी + मैथिली + संथाली (92 C.A. 2003)

9) नौवीं अनुसूची :—
- Art 31(A)
- 31(B)

(1st C.A. 1951 द्वारा जोड़ी)
- → इसमे रखे act की न्यायिक समिक्षा नहीं
- → पहले → 13 act. थे
  - → 284 act. है इस सूची में
- → बाद → I.R. कोइलो v/s तमिलनाडु 2007
  - → 24 अप्रैल 1973 के बाद → न्यायिक समिक्षा ✓
  - ↓ केशवानन्द भारती वाद का निर्णय आया
  - ↓ न्यायिक पुनरावलोकन → संविधान का बुनियादी ढाँचा

10) दसवीं अनुसूची
- → दल बदल विरोधी प्रावधान → (52 C.A. 1985 से)
  - ↓ विधानसभा + संसद सदस्यों पर लागू
- → कमीशन थोक क्रय की छूट @ L.S + विधानसभा अध्यक्ष पर लागू नहीं
- ① अंतिम निर्णय → अध्यक्ष, सभापति → (किहोतो होलोहान वाद – 1992) → निर्णय न्यायालय – चुनौती ✗
- ④ दल – बदल दोषी व्यक्ति – चुनाव लड़ने पर रोक ✗
- ⑤ समय सीमा नहीं → निर्णय (दल – बदल)

11th अनुसूची :— पंचायतीराज { शक्तियाँ + उत्तरदायित्व

- 73 C.A. → 1992 द्वारा
- 29 विषय (RJ में पंचायतों को - 22 विषय)

12th अनुसूची :— स्थानीय निकाय { शक्तियाँ + उत्तरदायित्व

- 74 C.A. → 1992 द्वारा
- 18 विषय

Springboard ACADEMY

संविधान के भाग :-

* भाग – I :- संघ + उसका राज्य क्षेत्र
→ Art (1 – 4)

Art 2. → नए राज्यों का प्रवेश / स्थापना
- → अधिकार → संसद
- → भारत संघ से बाहर के राज्यों के लिए

Art 1 :-
- देश का नाम → India | भारत
- → भारत का राज्य क्षेत्र → राज्य
  - → UT
  - → जो स्वेच्छा से भारत में शामिल
- → राज्य की प्रकृति
  - ↓ राज्यों का संघ

केन्द्र → राज्य, राज्य, राज्य, राज्य

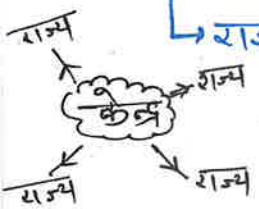

Art 3. → नए राज्यों के गठन सम्बन्धी प्रावधान
- ↓ संसद {राज्य} → विभाजन → नया राज्य
- → के नाम + क्षेत्र + सीमा → बदलाव
- प्रक्रिया ↓ विधेयक – राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश
- राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु ×
- → सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल में पेश (सहमति / असहमति) → कोई प्रभाव नहीं
- संसद के किसी सदन में पेश → साधारण बहुमत से पारित

Art 4 :- Ist व IVth अनुसूची परिवर्तन
- ↓ C.A. नहीं
- → वाद ↓

• बेरुबाड़ी 1960 → S.C. निर्णय → भारत का भाग → बिना C.A. → अन्य देश को नहीं दिया
- → उदा. 9वाँ C.A. → 1960 → बेरुबाड़ी क्षेत्र → पाकिस्तान को दिया (नेहरू नून समझौता)
- 100वाँ C.A. → 2015 → बांग्लादेश → 111 एन्क्लेव दिये
  - → ने भारत को – 51 एन्क्लेव दिये

• सामान्य सीमा विवाद → मंत्रिपरिषद
- → 1969 – S.C निर्णय

---

* भाग – 2 :- नागरिकता
→ Art. (5 – 11)

- भारत + ब्रिटेन → एकल नागरिकता
- USA — दोहरी नागरिकता

Art 11 :- नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान
- ↓ संसद
- → नागरिकता act 1955
  - → प्राप्ति के तरीके
    1) जन्म
    2) वंश
    3) पंजीकरण
    4) प्राकृतिकीकरण
    5) क्षेत्र समाविष्टि

नागरिकता संशोधन act 2019
↓
Pak, बांग्लादेश, अफगानिस्तान → हिन्दु, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई जैन, पारसी को नागरिकता

---

* भाग – 3 :- मौलिक अधिकार
- → मूल रूप से – 7
- → वर्तमान में – 6
- Concept USA से लिया गया है

→ Art. (12–35)

Art – 12 :- राज्य की परिभाषा
- ① संघ {विधायिका + कार्यपालिका}
- ② राज्य
- ③ अन्य
  - → सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
  - → स्थानीय निकाय
  - → राज्य निधि पोषित संस्था

Art 13 → 13(1) → संविधान पूर्व
- ↓ विधि → मूल अधिकारों से असंगति की सीमा तक शून्य
- 13(2) → संविधान के बाद ↑

13(3) → विधि की परिभाषा
- → act
- → अध्यादेश
- → आदेश
- → उपविधि
- → नियम–विनियम
- → अधिसूचना
- → विधि का बल
- रूढ़ी प्रथा

Art-(14-18) → समता का अधिकार

Art 14 →

विधि के समक्ष समता
- ब्रिटेन
- नकारात्मक
- कानून के समक्ष सभी समान
  - भेदभाव नहीं

विधि का समान संरक्षण
- USA
- सकारात्मक
- समान परिस्थितियों → समान व्यवहार
  - सकारात्मक + युक्तिसंगत भेदभाव

अपवाद:
- राष्ट्रपति / राज्यपाल (Art 361)
- संसद सदस्यों → विशेषाधिकार (Art-105)
- विधानमण्डल सदस्यों - विशेषाधिकार (Art 194)
- विदेशी शासक + राजनयिकों {सिविल मामलों, आपराधिक} → छूट
- UNO सदस्य
- Art 31(c) → गरीब व अमीर में सकारात्मक भेदभाव

Art 16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

16(1) → राज्य → लोक नियोजन में → समान अवसर (सभी नागरिकों)

16(2) → राज्य → लोक नियोजन में नागरिकों → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंशानुगतता, निवास → के आधार पर भेदभाव X अयोग्य

16(3) → संसद द्वारा → राज्य | UT → स्थानीय Job → निवासी होने

16(4) → पिछड़े वर्ग → Job में प्रतिनिधित्व X → स्थान आरक्षित
- 16(4)(a) → पदोन्नति आरक्षण (77 C.A.-1995)
- 16(4)(b) → बैकलॉग भरने → 50% आरक्षण (81 C.A. - 2000)

16(5) → धार्मिक संस्थान → स्थान → उसी धर्म का आरक्षित

16(6) → EWS → आरक्षण (103 C.A. - 2019)

Art 15 → कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

15(1) → राज्य → धमूजलज → भेदभाव X
(धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान)

15(2) → निजी संस्थान (होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय) + सार्वजनिक स्थान (मंदिर, तालाब, बावड़ी) → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान → भेदभाव नहीं

15(3) → राज्य → महिला + बच्चों → कल्याण → विशेष योजनाएँ + कार्यक्रम

15(4) → राज्य → सामाजिक + शैक्षणिक → रूप से पिछड़े वर्ग → विशेष योजनाएँ कार्यक्रम

15(5) → राज्य → सामाजिक + शैक्षणिक → रूप से पिछड़े वर्ग → शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण → निजी, सरकारी

15(6) → EWS → शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण; विशेष कार्यक्रम + योजनाएँ
(103वें C.A. → 2019 द्वारा)

• इंदिरा साहनी केस - 1992 → पदोन्नति में आरक्षण नहीं
- S.C निर्णय → आरक्षण 50% से अधिक X
- OBC में क्रीमीलेयर → आरक्षण नहीं

• एम नागराजन वाद → 2006 - पदोन्नति में आरक्षण ✓

Art 17 :- अस्पृश्यता का अंत
- पूर्ण अधिकार (निजी व्यक्ति के विरुद्ध)
- संविधान → परिभाषित X
- अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 → 1976 संशोधन → नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976

Art 18 :— उपाधियों का अंत → बालाजी राघवन वाद – 1996

- S.C निर्णय → भारतरत्न, पद्म पुरस्कार आदि सम्मान → उपाधियाँ नहीं

18(1) → राज्य → अन्य उपाधि ×
- शिक्षा, सेना में → सम्मान देगा

18(2) → भारतीय नागरिक → अन्य देश → उपाधि ×

18(3) → विदेशी नागरिक
- भारत सरकार की सेवा में, राष्ट्रपति की अनुमति → बिना → उपाधि नहीं

18(4) → भारतीय नागरिक
- सरकारी सेवा, राष्ट्रपति अनुमति → बिना → उपाधि नहीं

Art (19–22) → स्वतंत्रता का अधिकार

Art 19(1) → भारतीय नागरिकों के लिए; विदेशी नागरिक / कम्पनियों ×

19(1)(a) → वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता
- चुप रहने, फोन टेपिंग, RTI, आन्दोलन (हड़ताल ×), विचारों प्रसार, विज्ञापन, प्रेस

19(1)(b) → शांतिपूर्ण सम्मेलन (शस्त्र ×)

19(1)(c) → संघ {बनाने, नियमित संचालित} → करने का अधिकार

19(1)(d) → अबाध विचरण

19(1)(e) → आवास का

19(1)(f) → सम्पति का (44 C.A. → हटा दिया)

19(1)(g) → आजीविका

Art 19(2) → वाक् + अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सीमाएँ
- भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता
- राज्य सुरक्षा
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानी
- नैतिकता
- लोक व्यवस्था
- अपराध उद्दीपन
- विदेशी राज्य मित्रवत

Art 19(3) → सम्मेलन स्वतंत्रता → सिमाएँ
- भारत {सम्प्रभुता, अखण्डता}
- लोक व्यवस्था

Art 19(4) → संघ बनाने की स्वतंत्रता → (सिमाएँ) → भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता
- नैतिकता
- लोक व्यवस्था

Art 19(5) → अबाध विचरण + निवास स्वतंत्रता
- (सिमाएँ) → जन साधारण हित; जनजातिय लोगों

Art 19(6) → आजीविक स्वतंत्रता
- (सिमाएँ) → जनसाधारण हित; लाइसेंस अनिवार्यता

Art. 20 → अपराध → दोष सिद्धि → संरक्षण
(नागरिक कानून → भूतलक्षी क्रियान्वयन)

Art 20(1) → व्यक्ति को → अपराध के समय लागू कानून
- दण्डित
- भूतलक्षी क्रियान्वयन ×

Art 20(2) → दोहरी क्षति ×
- विभागीय कार्यवाही ✓

Art 20(3) → स्वयं के विरुद्ध गवाही ×
- सिविल मामलों → मान्य ×

Art 21 :— प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार
↓
(विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया)
बिना (वंचित नहीं)

→ A.K. गोपालन वाद — 1950 (संकीर्ण व्याख्या) Art 21
→ मेनका गाँधी वाद — 1978 → (व्यापक व्याख्या)

Art 21 (A) → शिक्षा का अधिकार → 6-14 वर्ष बच्चे → शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
(86 C.A. → 2002)

- बच्चे: अनिवार्य, नि:शुल्क — शिक्षा
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009): 01, April 2010 पारित (लागू); निजी विद्यालयों में — 25% सिटें आरक्षित

Art-22 :— गिरफ्तारी, निरोध } → विरुद्ध अधिकार

- व्यक्ति को अधिकार → ① कारण जानने का ② वकील → परामर्श, बचाव ③ 24 घंटे – मजिस्ट्रेट के समक्ष
- अधिकार नहीं: ① शत्रु देश नागरिक ② निवारक निरोध के तहत निरुद्ध व्यक्ति
  - ↓ (अधिकार) → अधिकतम 3 माह निरुद्ध
  - → अधिक अवधि → सलाहकारी बोर्ड सिफारिश → अध्यक्ष – H.C. जज; सदस्य → H.C. जज की योग्यता रखने
  - → अपील कर सकता है।
  - कारण जानने → जनहित में ×

(निवारक निरोध) → संसद प्रावधान → सलाहकारी बोर्ड की प्रक्रिया निर्धारित
- → सलाहकारी बोर्ड की सलाह बिना ↓ 3 महिने से ↑ निरुद्ध
- → अधिकतम निरुद्ध अवधि निर्धारित

44 C.A. → 1978
निरुद्ध अवधि – 3 माह से | 2 माह (लागू नहीं)

(निवारक निरोध) → कानून
- → संसद → रक्षा, सुरक्षा, विदेश
- → संसद + राज्य विधानमण्डल → राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आवश्यक आपूर्ति

Art (23-24) → शोषण के विरुद्ध अधिकार

Art 23 :— मानव दुर्व्यापार + बलात श्रम] → प्रतिषेध
- मानव दुर्व्यापार → • मानव (man, child, women) • दास प्रथा • वेश्यावृति • देवदासी प्रथा
- बलात श्रम → बेगार प्रथा, बन्धुआ मजदूरी

↓ अपवाद ↓ • जनहित में अनिवार्य सेवा

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) Act → 1956

Art 24 → बच्चों → कारखानों इत्यादि ↓ नियोजन प्रतिषेध
↓
बाल एवं किशोर श्रम (निषेध व विनियमन) Act 2016
- 0-14 वर्ष ↓ घरेलू कार्य
- 14-18 वर्ष किशोर ↓ खतरनाक कार्य नहीं
- (सजा) → 6 माह – 2 वर्ष जेल; → 20,000 ₹; → दोहराने पर सजा – 1-3 वर्ष

Art (25–28) → धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

Art–25 → अंतःकरण की स्वतंत्रता → धर्म
- मानने का अधिकार
- आचरण का "
- प्रचार-प्रसार "

सीमाएँ
- लोक व्यवस्था
- नैतिकता
- स्वास्थ्य के आधार पर
- अन्य मूल अधिकार

Art–26 → धार्मिक मामलों
- प्रबन्धन अधिकार
- धार्मिक धर्मार्थ → संस्था → स्थापना, प्रशासन
- धार्मिक कार्यक्रम – प्रबन्धन
- धार्मिक उद्देश्य {चल, अचल} → सम्पत्ति → अर्जित, प्रशासन

प्रतिबन्ध → लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता

Art 27 → राज्य → धर्म विशेष → विकास → कर ✗

Art 28 → धार्मिक शिक्षा कक्षा → (धार्मिक शिक्षा)
- सरकारी विद्यालय ✗
- निजी विद्यालय ✓
- धर्म विशेष हेतु स्थापित संस्था ✓

धार्मिक शिक्षा कक्षा ↓ उपस्थित न होने | अधिकार

Art (29–30) → संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

Art–29 :– अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- भारत में निवास → नागरिक → संस्कृति, भाषा, लिपि संरक्षण
- राज्य → वित्त पोषित संस्था → धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा → प्रवेश से वंचित नहीं

Art → 30 :– शिक्षण संस्थानों → स्थापना, प्रशासन → अल्पसंख्यक वर्ग

- 30(1) → भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक → रुची की शिक्षण संस्था → स्थापना, प्रशासन
- 30(1)(A) → अनिवार्य अधिग्रहण (44 C.A.–1978) → अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों → पूर्ण क्षतिपूर्ती
- Art 30(2) → राज्य द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं को समान वित्तीय सहा.

Art 31 → सम्पति का अधिकार

↳ 44 C.A. → 1978 द्वारा → मूल अधिकार से → संवैधानिक अधिकार

- 31(A) → राज्य जनहित में निजी सम्पति का अधिग्रहण
- निजी व्यापार – राष्ट्रीकरण → न्यायालय में चुनौति नहीं
- 31(B) → 9th अनुसूची में रखे अधिनियम → न्यायिक पुनरावलोकन नहीं
- 31(C) → Art 39(b) व 39(c) → उद्देश्य प्राप्ति → संसद्/कानून ← Art 14, 19, 31 → हनन हो → तो यह कानून असंवैधानिक नहीं होगा → कानून को न्यायालय में चुनौति ✗

Art-32 → संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- B.R. अम्बेडकर → संविधान की "मूल आत्मा/हृदय"
- S.C. → मूल अधिकारों
  - → रक्षक
  - → गारण्टी देने वाला

S.C. ↓ (5 प्रकार की रिट)
1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
2) परमादेश
3) प्रतिषेध
4) अधिकार पृच्छा
5) उत्प्रेषण

Art 33 → मूल अधिकारों में कटौती (संसद द्वारा)
- सशस्त्र बल
- पुलिस
- खुफिया एजेंसी
- अन्य बल

Art 34 → क्षेत्र → सैन्य विधि लागू
↓
मूल अधिकारों
↓
कटौती

Art-35 :- मूल अधिकारों
↓
कटौती
↓
केवल संसद → जिनका उल्लेख
↓
संविधान → (Art 34 व 33)

Art 35(A) :- 1954 → राष्ट्रपति आदेश → जोड़ा
- J&K विशेष प्रावधान → स्थाई प्रवासी
  - → सम्पत्ति
  - → नौकरी
- 2019 में राष्ट्रपति आदेश → हटा दिया

→ वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है — Art-15, 16, 19, 29, 30

Art → 358 :- राष्ट्रीय आपातकाल
↓
Art 19 स्वतः निलम्बित

44 C.A. → 1978 → राष्ट्रीय आपातकाल
↓
Art 19 निलम्बित ×

Art → 359 → राष्ट्रीय आपातकाल
↓
राष्ट्रपति अन्य art निलम्बित ✓

44 C.A. 1978 → राष्ट्रीय आपातकाल
↓
Art 20 व 21 निलम्बित ×

:- मूल अधिकारों में संशोधन :-

Springboard ACADEMY

मूल अधिकारों में संशोधन

Art 13(2)

- संसद → act नहीं बना सकती → मूल अधिकारों से असंगत हो
- 1st C.A. → 1951 → Art 31(A), 31(B) जोड़े
  - इसमें Art 31 का हनन → न्यायालय में चुनौती
- शंकरी प्रसाद v/s भारत संघ → 1951
  - S.C. निर्णय Art 13(2) → सामान्य विधियों पर लागू; C.A. act पर लागू नहीं
  - सामान्य विधि → मूल अधिकारों में कटौती ✗
  - C.A. अधिनियम → मूल अधिकारों → कटौती ✓ (सीमित)
- सज्जन सिंह v/s राजस्थान राज्य → 1965
  - S.C. पूर्ववर्ती निर्णय दोहराया
- गोलकनाथ v/s पंजाब राज्य → 1967
  - S.C. पूर्ववर्ती निर्णय उलट दिया। → माना C.A. act एक विधि है।
- Art 13(2) → C.A. act पर लागू → इसलिए संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती
- न्यायालय → इस निर्णय → भूतलक्षी क्रियान्वयन ✓
  - पहले मूल अधिकारों कटौती यथावत
  - भविष्य में कटौती नहीं

Art 368

- संसद की संविधान संशोधन की शक्ति
- 24th C.A. → 1971 → Art 13(4), Art 368(3) जोड़े
  - Art 13(4) → C.A. act विधि नहीं है।
  - Art 368(3) → राष्ट्रपति → संविधान संशोधन विधेयक → सहमति देने → बाध्य
- प्रावधान → 13(2) → सामान्य विधियों पर लागू
  - Art 368 → तहत → C.A पर लागू नहीं
- 25th C.A. → 1971 → Art 31(C) जोड़ा गया
  - Art 39(b), 39(c) के उद्देश्यों की प्राप्ति → F.R. → 14, 19, 31 → हनन → न्यायालय में चुनौती नहीं
- केशवानन्द भारती v/s केरल राज्य → 1973
  - S.C. में → 24वें व 25वें C.A. चुनौती
  - 13 जजों की संवैधानिक पीठ
  - निर्णय – 7:6 के बहुमत से
- 24वें व 25वें C.A. → वैधानिक ठहराया
  - अर्थात Art 368 → C.A. → द्वारा संसद → मूल अधिकारों → कटौती कर सकती है।
- संसद संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ छेड़छाड़ नहीं
- 25वें C.A. → दूसरा भाग → असंवैधानिक

42 वाँ C.A. → 1976 :— Art 31(c) का विस्तार

प्रावधान → DPSP → उद्देश्यों प्राप्ति → संसद → विधि → 14, 19, 31 → F.R. हनन ← यह act अवैधानिक नहीं होगा

↓

• मिनर्वा मिल्स v/s भारतसंघ → 1980

S.C. → Art 31(c) → विस्तार रद्द

→ DPSP उद्देश्यों → प्राप्ति → मूल अधिकारों → हनन नहीं

→ मूल अधिकार व DPSP विरोधी नहीं → एक दूसरे के पूरक

यदि DPSP व F.R. में विरोधाभाष है तो → F.R. >>>> DPSP

संविधान का बुनियादी ढाँचा :

↓

उद्भव व विकास

- केशवानन्द भारती वाद में न्यायालय ने मूल ढाँचे की अवधारणा दी
- संविधान → किसी भी भाग → संशोधन (मूल अधिकारों में भी) → लेकिन मूल ढाँचे में नहीं
- मूल ढाँचा अवधारणा → इसलिए न्यायालय → देश, काल, परिस्थिति → व्याख्या करेगा

इसमें सम्मिलित →

- संविधान की सर्वोच्चता
- संसदीय शासन व्यवस्था
- संविधान का संघिय स्वरूप
- शक्ति पृथक्करण
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली
- विधि का शासन
- संविधान में संशोधन → संसद की शक्ति
- मूल अधिकार व DPSP में संतुलन
- कल्याणकारी राज्य → सामाजिक, आर्थिक → न्याय
- मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्त
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- न्यायिक पुनरावलोकन
- न्याय तक प्रभावकारी पहुँच
- Art 32, 136, 141 व 142 के तहत S.C. को प्राप्त शक्तियाँ
- Art 226 व 227 में → H.C. की शक्तियाँ
- प्रस्तावना

* संविधान का भाग – IV

- Art (36–51)
- राज्य के नीति के निदेशक तत्व (DPSP)
  - संविधान की "आत्मा" व "दर्शन"
  - संवैधानिक निदेश या सिफारिशें → विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक
  - उद्देश्य → लोक कल्याणकारी राज्य
  - गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं।

Art–36 :– राज्य की परिभाषा
- केन्द्र { कार्यपालिका, विधायिका } → • राज्य
- स्थानीय निकाय
- PSU
- राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएँ

Art–37 :– DPSP → न्यायालय द्वारा → प्रवर्तनीय ×

Art–38 :– राज्य (44 C.A. – 1978)
↓
सामाजिक व्यवस्था
- (असमानता नहीं) → आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर
- (न्याय) → 1) सामाजिक, 2) आर्थिक, 3) राजनीतिक

Art 39 :– राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीतितत्व (42 C.A. 1976)
- (a) महिला, पुरुष → रोजगार के समान अवसर
- (b) भौतिक संसाधनों { नियंत्रण, स्वामित्व } → सभी के हितों की पूर्ति
- (c) अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन { धन, उत्पादन के साधन } → अहितकारी संकेन्द्रण ×
- d) महिला, पुरुष → समान कार्य समान वेतन
- e) कर्मकार, महिला, बच्चे → उम्र व सामर्थ्य → के अनुसार कार्य करें
- f) बच्चों को → स्वस्थ वातावरण

Art 39(A) → समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता

Art–40 :– राज्य
↓
पंचायतीराज संस्थाओं
- स्थापना
- सशक्त

Art–41 :– राज्य
- काम
- शिक्षा
- लोक सहायता

Art–42 :– कार्यस्थल { न्यायसंगत, मानवोचित } दशाएँ

Art–43 :– निर्वाह योग्य मजदूरी + कुटिर उद्योग
- 43(A) → प्रबन्धन में हिस्सा (कर्मकारों को) (42 C.A. 1976)
- 43(B) → सहकारिता को प्रोत्साहन
  - सहकारी समितियों की स्थापना (97 C.A. → 2011)

Art 44 → समान नागरिक संहिता
- सिविल मामले (व्यक्ति v/s व्यक्ति) जैसे → विवाह, तलाक (कानून समान नहीं)
- आपराधिक मामले (व्यक्ति बनाम राज्य) जैसे – हत्या, डकैती (सभी के लिए समान कानून)

Art 45 → 0–6 वर्ष बच्चे
- आरम्भिक शिक्षा
- पोषण

(86th C.A. → 2002)

Art 46 → SC/ST/OWS
↓
सहायता
- शिक्षा
- आर्थिक

Springboard Academy

Art 47 :— राज्य → सुधार करेगा
- पोषण
- जीवन स्तर
- लोक स्वास्थ्य

Art 49 → राष्ट्रीय महत्व
- स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं → संरक्षण

Art 48 :— कृषि व पशुपालन
- कृषि व पशुपालन → आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक
- पशुपालन → नस्ल सुधार, बूचड़खाने बन्द

Art 50 → कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

48(A) → पर्यावरण व वन तथा वन्य जीवों
- पर्यावरण → संरक्षण, संवर्धन
- वन तथा वन्य जीवों → रक्षा

Art 51 →
- विश्व → शान्ति, सुरक्षा
- देशों → न्यायपूर्ण, सौहार्दपूर्ण } सम्बन्ध
- अन्तर्राष्ट्रीय → सन्धि, समझौते, कानून → सम्मान
- अन्तर्राष्ट्रीय विवाद → मध्यस्थता से सुलझाना

DPSP का वर्गीकरण

समाजवादी	गाँधीवादी	उदारवादी
Art → 38, 39, 39(A), 41, 42, 43, 43(A), 47,	Art - 40, 43, 43(B), 46, 47, 48	Art 44, 45, 48, 48(A), 49, 50, 51

भाग — IV (A)
- → Art 51(A)
- → मूल कर्तव्य
  - जीवन पद्धति, भारतीय परम्पराओं, आदर्शों, धर्म → प्रदर्शित करते हैं, प्रतिनिधित्व
  - केवल भारतीय नागरिकों के लिए
  - गैर न्यायोचित
  - संसद act → क्रियान्वयन कर सकती है

सरदार

* सरदार स्वर्ण समिति → सिफारिश – 8 मूल कर्तव्य
  - → 12 सदस्य
  - → 42 C.A. → 1976 → 10 मूल कर्तव्य
  - 86 C.A. → 2002 → 11 मूल कर्तव्य

1st → संविधान → पालन।
- → आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान → आदर

2nd → स्वतंत्रता आन्दोलन → उच्च आदर्शों → हृदय में संजोए रखे

3rd → भारत → सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता } → रक्षा व अक्षुण्ण बनाये रखे

4th → देश की रक्षा
- → आवाहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा

5th → भारत के लोगों → भेदभाव x (पंथ, भाषा, वर्ग)
- → समरसता, समान भ्रातृत्व
- → महिलाओं का सम्मान

6th → सामासिक संस्कृति → महत्व समझे, ~~परिरक्ष~~ परिरक्षण

7th → प्राकृतिक पर्यावरण → वन, झील, नदी, वन्यजीव } → रक्षा, संवर्धन
- → प्राणीमात्र → दया भाव

8th → वैज्ञानिक दृष्टिकोण
→ मानववाद
→ ज्ञानार्जन
→ सुधार की भावना
} → विकास

9th → सार्वजनिक सम्पत्ति { सुरक्षित / हिंसा से दूर

10th → व्यक्तिगत + सामुहिक } → गतिविधियों में → उत्कर्ष की ओर बढ़ना
↓
राष्ट्र नयी ऊँचाई छू सके

11th → 6 – 14 वर्ष बच्चे
↓
शिक्षा का अवसर
(86वाँ C.A. → 2002 द्वारा)

वर्मा समिति → 1999
↓
कुछ मूल कर्तव्यों को लागू
↓
वर्तमान में लागू वैधानिक प्रावधानों की पहचान

* संविधान का भाग – V

→ Art – (52–1SL)
→ संघ सरकार

संघ सरकार → कार्यपालिका (Art. 52–78) | विधायिका (Art – 79–123) | न्यायपालिका (Art (124–147)) | CAG (Art 148 – 1SL)

कार्यपालिका → 1) राष्ट्रपति, 2) उपराष्ट्रपति, 3) मंत्रिपरिषद, 4) महान्यायवादी

कार्यपालिका

→ (Art 52–78)
→ कानूनों की पालना
→ नीति निर्माण

1) राष्ट्रपति :–

Art 52 → भारत का एक राष्ट्रपति

Art 53 → संघ → समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ
↓
राष्ट्रपति निहित

Art 54 → राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डल

L.S./R.S. निर्वाचित सदस्य ← राज्य/UT विधानसभा

(शामिल नहीं) → L.S./R.S./विधानसभा मनोनीत
→ विधानपरिषद सदस्य

Art 55 :– राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति → आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत

→ • जीत हेतु मत → $\frac{N}{n+1}+1$ (50% + 1)
N → कुल मत
n+1 → कुल पदों की संख्या

MLA मत मूल्य → $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{निर्वाचित MLA}} \times \frac{1}{1000}$
→ राजस्थान – 129
UP (max) → 208
सिक्किम (min.) → 7

MP मत मूल्य → $\frac{\text{MLA के मतों का मूल्य}}{\text{निर्वाचित MP}}$
→ 1 MP मत मूल्य – 708

चुनाव सम्बन्धि महत्वपूर्ण तथ्य :–

चुनाव	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति
• अधिसूचना	ECI	ECI
• प्रस्तावक	50	20
• अनुमोदक	50	20
• जमानत राशि	15000 (RBI / ECI)	15000 (RBI / ECI)
• चुनाव अधिकारी	L.S./R.S. महासचिव	

(उपराष्ट्रपति) 1997 से पूर्व → 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक
जमानत राशि – 2500/-

Springboard Academy

Art 56 :- राष्ट्रपति का कार्यकाल

- शपथ ग्रहण → 5 वर्ष
- त्यागपत्र → उपराष्ट्रपति
  - ↓ सूचना → लोकसभा अध्यक्ष
  - उपराष्ट्रपति ↓ पद रिक्त ↓ तब CJI
- महाभियोग द्वारा हटाना
  - (कारण) ↓ संविधान का
    - उल्लंघन
    - अतिक्रमण

Art 57 → पुनर्निर्वाचित ✓

Art 58 → राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ

- भारत का नागरिक
- 35 वर्ष आयु
- लोकसभा सदस्य बनने योग्यता
- लाभ के पद पर नहीं

Art 59 → राष्ट्रपति पद की शर्तें

- MP/MLA नहीं
- लाभ के पद नहीं
- वेतन-भत्ते अलाभकारी परिवर्तन ×
- राष्ट्रपति भवन ↓ निःशुल्क

Art 60 → राष्ट्रपति की शपथ

- ईश्वर / सत्यनिष्ठा
- दिलाना ↓ S.C. → का ↓ मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश
- ↓
  - संविधान व विधि → परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण
  - जनता की सेवा व कल्याण

Art 61 → राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया

- अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया
- (कारण) → संविधान का उल्लंघन

प्रस्ताव → [L.S. / R.S.] → पहला सदन → कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत ↓ दूसरा सदन ↓ जाँच → सही → कुल के 2/3 बहुमत ↓ प्रस्ताव पारित → राष्ट्रपति - हट जाता है

- प्रस्ताव ↓ सदन के 1/4 सदस्यों के sign
- [L.S. / R.S.] ↓ सूचना ↓ राष्ट्रपति (14 दिन)
- पहला सदन ↓ आरोप लगाता

Art 62 :- राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले

- ↓ अगले राष्ट्रपति का चुनाव
- पद रिक्त { मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग } → 6 माह में चुनाव

:- राष्ट्रपति की शक्तियाँ :-

- कार्यपालिका
- विधायिका
- वित्तीय
- न्यायिक
- सैन्य
- कूटनीतिक
- आपातकालीन

1) कार्यपालिका शक्तियाँ → राष्ट्रपति

- → विभिन्न नियुक्तियाँ
  - आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य
  - राज्यपाल
  - UT - प्रशासक, उपराज्यपाल
  - महान्यायवादी
  - CAG
- प्रमुख
- PM की नियुक्ति
  - सलाह → मंत्रिपरिषद का गठन (प्रसाद पर्यन्त पद पर)
- नियम-विनियम
- अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र
- अन्तर्राज्यीय परिषद

2) वित्तीय शक्तियाँ

- बजट
- वित्त आयोग
- 500 करोड़ आकस्मिक निधि
- धन विधेयक व अनुदान की माँगें (राष्ट्रपति पूर्वानुमति)

3) न्यायिक शक्तियाँ :-

- S.C./H.C. जजों की नियुक्ति
- S.C. से परामर्श
- क्षमादान शक्तियाँ

4) कूटनीतिक शक्तियाँ

- अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से (संसद का अनुमोदन)
- अन्य देशों में राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति
- अन्य देशों से आने वाले राजदूत व उच्चायुक्त स्वागत

2) उपराष्ट्रपति :—

Art 63 → भारत का एक उपराष्ट्रपति

Art 64 → राज्यसभा का पदेन सभापति

Art 65 → राष्ट्रपति → अनुपस्थिति में → कर्तव्यों का निर्वहन

Art 66 → पद हेतु
- योग्यता
  - भारत का नागरिक
  - 35 वर्ष आयु
  - राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता
  - लाभ के पद पर नहीं
- शर्तें
- निर्वाचन → अप्रत्यक्ष

• निर्वाचक मण्डल – राज्यसभा + लोकसभा सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत)

• निर्वाचन पद्धति → आनुपातिक प्रतिनिधित्व – एकल संक्रमणीय मत
- जीत हेतु मत (50% + 1)

Art – 67 :— कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया
- कार्यकाल – शपथ ग्रहण → 5 वर्ष
- हटाने कारण → उल्लेख → संविधान ×

• प्रस्ताव → केवल राज्यसभा → चर्चा
- 14 दिन notice उपराष्ट्रपति
- भाग ✓, मत ×, पीठासीन अधिकार ×
- प्रस्ताव → प्रभावी बहुमत → लोकसभा → साधारण बहुमत → पारित

Art 68 → समय पर चुनाव
- उपराष्ट्रपति पद रिक्त { मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाना } → यथाशीघ्र चुनाव

Art 69 → शपथ
- 1) संविधान की पालना
- 2) निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन

Art 70 → अन्य आकस्मिक स्थितियों → राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
- • राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद रिक्त → संसद प्रावधान → 1969 → इस स्थिति → राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन → CJI → पद रिक्त → वरिष्ठतम न्यायाधीश

Art 71 → राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति → चुनाव विवाद केवल → S.C में

Art 72 → राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियाँ

Art 73 → संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार
- 1) जिन विषयों पर संसद विधि बना सकती
- 2) संधि या करार से प्राप्त शक्ति

Art 74 → राष्ट्रपति → सलाह देने → मंत्रिपरिषद → प्रमुख - प्रधानमंत्री
- 42वाँ C.A. → 1976 (राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य)
- 44वाँ C.A. – 1978 (मंत्रिपरिषद सलाह – एक बार → पुनर्विचार हेतु)

Art 75 → राष्ट्रपति → प्रधानमंत्री → नियुक्ति
- सलाह → मंत्रियों नियुक्ति
- 75(2) → व्यक्तिगत रूप (मंत्री) → राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी → राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर
- 75(3) → मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप → लोकसभा → उत्तरदायी
- 75(4) → मंत्री पद → शपथ – राष्ट्रपति

5) विधायी शक्तियाँ :—

- राष्ट्रपति संसद का भाग
- सत्र → आहूत, अवसान
- लोकसभा को भंग
- राज्यसभा – 12 सदस्य (मनोनित)
- राज्यसभा → अस्थायी सभापति नियुक्त
- लोकसभा → अस्थायी अध्यक्ष
- राष्ट्रपति संसद को → संदेश, अभिभाषण
- संसद में विशेष अभिभाषण
- सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय
- संयुक्त बैठक (L.S. व R.S.)
- विधेयक (राष्ट्रपति पूर्वानुमति से पेश)
  - धन विधेयक
  - नए राज्य के गठन
- विधेयक – राष्ट्रपति सहमति → act
- अध्यादेश जारी
- विधेयक → तीन विकल्प
  - सहमति देना
  - सहमति रोकना
  - पुनर्विचार (संसद – 1 बार)
  - (राज्य विधान मण्डल – कितनी बार)
- 3 UT → अण्डमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली व दमन दीव
  - ↓ शांति विकास सुशासन
- प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष
  - UPSC
  - CAG
  - F.C.

6) सैन्य शक्तियाँ :—

- तीनों सेनाओं का प्रमुख
- युद्ध की व युद्ध विराम की घोषणा (संसद का अनुमोदन)

7) आपातकालीन शक्तियाँ :—

- राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352)
- राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना (Art 356)
- वित्तीय आपातकाल (Art 360)

8) वीटो शक्तियाँ :—

अत्यांतिक वीटो

- विधेयक पर सहमति रोकना
  - निजी विधेयक
  - सरकारी विधेयक (मंत्रिपरिषद बदल)
- 2 बार प्रयोग
  - 1954 → जिन्द्र प्रसाद → PEPSU विनियोग
  - 1991 → D.R वेंकरमण → सांसद (वेतन, भत्ता, पेंशन)

निलम्बनकारी

- विधेयक को पुनर्विचार लौटाना (केवल एक बार)
- 1 बार → APJ अब्दुल कलाम → लाभ का पद विधेयक 2006

पॉकेट

- विधेयक
  - ना सहमति दे
  - ना असहमति
  - ना पुनर्विचार
- ↓ राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है
- 1 बार → 1986 जैलसिंह → भारतीय डाकघर विधेयक

Art 72 :— राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियाँ

- संघ सूची
- सैन्य न्यायालय
- मृत्युदण्ड
- प्रकार
  - 1) लघुकरण → सजा की प्रकृति में बदलाव
  - 2) क्षमा → पूर्णतः क्षमा
  - 3) परिहार → सजा की अवधि कम
  - 4) विराम → सजा की प्रकृति व अवधि बदलाव
  - 5) प्रविलम्ब → अस्थायी रोक

राष्ट्रपति क्षमादान पर S.C. के निर्णय

- दया याचिकाकर्ता → मौखिक सुनवाई ✗
- साक्ष्यों का पुनः अध्ययन
- राष्ट्रपति → निर्णय कारण → बाध्य नहीं
- राष्ट्रपति → शक्ति प्रयोग – मंत्रिपरिषद सलाह
- राष्ट्रपति प्रविलम्ब का प्रयोग एक बार
- निर्णय – न्यायिक समिक्षा
  - स्वेच्छाचारी
  - विवेक रहित
  - दुर्भावना, भेदभाव
- मृत्युदण्ड → लघुकरण

Art 161 :— राज्यपाल क्षमादान शक्तियाँ

- राज्य सूची
- मृत्युदण्ड के मामले → पूर्णतः क्षमा नहीं → प्रविलम्ब / लघुकरण का प्रयोग
- सैन्य मामले (क्षमा नहीं)

- 75(5) → मंत्री → 6 माह
  - ↓ सांसद बनना
  - ↓ मंत्रीपद समाप्त
- ↓ (91वाँ C.A. → 2003)
  - ↓ • प्रधानमंत्री + मंत्री
    - ↓ लोकसभा सदस्यों के 15%
  - • दल-बदल दोषी → नया चुनाव जीते बिना → मंत्री नहीं

Art. 77 → भारत सरकार के कार्यों का संचालन

- कार्यपालिका शक्तियों प्रयोग – राष्ट्रपति के नाम
- कार्यपालिका के कार्यों सुचारु संचालन
  - नियम
  - विनियम
- मंत्रियों → कार्य आवंटन → नियम
  1) कैबिनेट
  2) राज्य (स्वतंत्र प्रभार)
  3) राज्य मंत्री
  4) उपमंत्री

Art 76 → महान्यायवादी (केन्द्र सरकार – प्रथम विधिक अधिकारी)

- नियुक्ति → राष्ट्रपति
- वेतन → राष्ट्रपति
- कार्यकाल → राष्ट्रपति प्रसाद पर्यन्त
- योग्यता → S.C. जज बनने योग्य
- कार्य
  - केन्द्र सरकार → परामर्श → विधिक मामले
    - पैरवी (न्यायालय में)
  - निजी वकालत
    - केन्द्र सरकार विरुद्ध नहीं
  - संसद + संसदीय समिति
    - कार्यवाही भाग
    - मतदान ×

Art 78 → राष्ट्रपति को सूचित

- ↓ प्रधानमंत्री कर्तव्य
  - सरकार के विनिश्चयों की सूचना
  - राष्ट्रपति ↓ संघ
    - प्रशासनिक
    - विधायी
    - ↓ सूचना
  - मंत्री विनिश्चय करे (बिना पर…)
    - ↓ राष्ट्रपति, P.M से अपेक्षा
    - ↓ मंत्रिपरिषद् विचार हेतु

विधायिका

- → Art → (79–123)
- Art 79 :– संसद
  - राष्ट्रपति
  - राज्यसभा
  - लोकसभा

बहुमत

- पूर्ण बहुमत ↓ कुल सदस्यों का बहुमत
- साधारण ↓ उपस्थित + मतदान करने वालों
- प्रभावी ↓ कुल स्थान – रिक्त स्थान
- विशेष ↓
  1) कुल सदस्यों का बहुमत
  2) उपस्थित + मतदान करने वालों का 2/3

- • केन्द्र व राज्य सम्बन्ध (बहुमत)
  - संसद में विशेष बहुमत
  - आधे से अधिक → राज्यों → विधानमण्डल | साधारण बहुमत (सहमति)
- • राष्ट्रपति के महाभियोग पर (बहुमत)
  - कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत

Art 80 :– राज्यसभा (1954)

- ↓ पहले ↓ काउन्सिल ऑफ स्टेट्स
- ↓ अन्य नाम
  - उच्च सदन
  - स्थायी सदन
  - द्वितीय चैम्बर
  - प्रबुद्ध सदन

राज्यसभा सदस्य

- अधिकतम 250
  - निर्वाचित ↓ 238
  - मनोनीत ↓ 12
    - साहित्य
    - विज्ञान
    - कला
    - समाजसेवा
- वर्तमान 245
  - निर्वाचित
    - राज्य ↓ 225
    - UT ↓ 8
      - J&K → 4
      - दिल्ली – 3
      - पांडिचेरी – 1
  - मनोनीत | 12

Springboard Academy

राज्यसभा

- परिसंघीय ढाँचे का प्रतिनिधित्व
- प्रतिनिधित्व → जनसंख्या के आधार पर
- सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष (संविधान उल्लेख नहीं) → प्रति 2 वर्ष पश्चात R.S. 1/3 सदस्य सेवानिवृत

- 1 सीट वाले 8 राज्य: अरुणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, गोवा
- 3 सीट - 2 राज्य → H.P., उत्तराखण्ड
- Raj. → 10 सीटें
- U.P. → 31 सीटें

निर्वाचन → अप्रत्यक्ष
- मण्डल → राज्य विधानसभाओं → निर्वाचित सदस्य
- पद्धति → आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

- Art 249 → राज्य सूची विषय → संसद की कानून बनाने की
  - राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव → संसद को अनुमति (राज्य सूची
  - कानून एक वर्ष तक (आगे के लिए पूरी प्रक्रिया दोहराना)
- Art 312 → All India Services
  - राज्यसभा 2/3 बहुमत → प्रस्ताव → संसद नई AIS का सृजन
- Art 67 → उपराष्ट्रपति हटाने → प्रस्ताव → केवल R.S.

Art 81 : लोकसभा

→ 1954 (पहले "हाउस ऑफ पीपुल")

अन्य नाम → लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन

लोकसभा सदस्य

- अधिकतम 550
  - राज्य → 530
  - UT → 20
- वर्तमान 543
  - राज्य → 524
  - UT → 19
    - दिल्ली → 7
    - J&K → 5
    - दादर नगर, दमन दीव → 2
    - अन्य - 1-1

लोकसभा निर्वाचन → प्रत्यक्ष
- पद्धति → अग्रता ही विजेता
- मण्डल → 18 वर्ष आयु → भारतीय नागरिक (61 C.A. → 1989)

लोकसभा → प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार

- 3 राज्य - 1 सीट: मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम
- 2 सीट - 5 राज्य: मणिपुर, गोवा, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय
- RJ → 25
- U.P. → 80

निर्वाचन क्षेत्र → लोकसभा क्षेत्र → निर्धारण → परिसीमन आयोग

104 वाँ C.A. act → 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन - 2020 समाप्त

Art 82 → परिसीमन आयोग → प्रत्येक जनगणना → संसद → परिसीमन act

- परिसीमन act ↓ केन्द्र सरकार → परिसीमन आयोग
- परिसीमन आयोग → अनुशंसा
  - न्यायालय में चुनौती नहीं
  - कोई परिवर्तन नहीं

कार्य
- R.S. / L.S. → सीटों व क्षेत्रों का निर्धारण
- SC/ST → सीटों का निर्धारण

संरचना
- अध्यक्ष → S.C. सेवानिवृत जज
- पदेन सदस्य → मुख्य चुनाव आयुक्त
- सम्बन्धित राज्य चुनाव आयुक्त

↳ 4 परिसीमन आयोग

act	आयोग
1952	1952
1962	1963
1972	1973
2002	2002

4th परिसीमन आयोग (2002)
- अध्यक्ष → कुलदीप सिंह
- सिफारिशें → 2008 को
- 22 राज्य व 2 UT

6 राज्यों → परिसीमन नहीं
- J&K, झारखण्ड
- असम, अरुणाचल
- नागालैण्ड, मणिपुर

- 42 C.A. → 1976 → 1971 जनगणना के आधार → 2001 {L.S., V.S} → सीटें स्थिर (निश्चित)
- 84 C.A. → 2001 → L.S., V.S. → सीटें → 2026 तक स्थिर (निश्चित)
  - → 4th परिसीमन आयोग → गठन
    - 1991 जनगणना आधार → निर्वाचन क्षेत्रों का → पुन: समायोजन
    - SC/ST → आरक्षित सीटें → पुनर्निर्धारण
- 87 C.A → 2003 → 1991 स्थान पर → 2001 की जनगणना का प्रयोग → 4th परिसीमन आयोग में

J&K परिसीमन → रंजना प्रकाश देसाई आयोग

Art 83 → संसद के सदनों का कार्यकाल

- L.S → 5 वर्ष
  - राष्ट्रपति → कार्यकाल से पूर्व → भंग
  - राष्ट्रीय आपातकाल → L.S. कार्यकाल
    - समाप्त → (केवल 6 माह तक)
    - एक बार में → 1 वर्ष (कितनी भी अवधि)
- राज्यसभा → स्थायी

• प्रयोग → 1976-77 में

Art-84 → सांसदों की योग्यता

- भारत का नागरिक
- L.S. आयु → 25 वर्ष
- R.S आयु → 30 वर्ष
- किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र → मतदाता सूची में नाम

Art 85 → संसद के सत्र

- राष्ट्रपति आहूत व अवसान
- किसी सदन के दो सत्रों → 6 माह का (अधिक) अंतराल नहीं
- 3 सत्र
  - बजट
  - मानसून
  - शीतकालीन
- विशेष सत्र भी

Springboard Academy

Art 86 → राष्ट्रपति → संसद → संदेश भेज / अभिभाषण

Art 87 → राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण → दोनों सदनों को समवेत रूप से / L.S के आम चुनाव → पहले सत्र में · प्रतिवर्ष

Art 88 → मंत्री व महान्यायवादी → दोनों सदनों / संसदीय समीतियों → बैठकों में भाग → मतदान नहीं

लोकसभा अध्यक्ष

- भारत शासन अधिनियम 1919 → पद सृजित
- 1921 → फ्रेडरिक व्हाइट → प्रथम अध्यक्ष; सच्चिदानन्द सिन्हा → उपाध्यक्ष
- 1925 → विठ्ठलभाई पटेल → प्रथम निर्वाचित भारतीय → अध्यक्ष
- आजादी → G.V. मावलंकर → L.S. अध्यक्ष
- बलराम जाखड़ (सर्वाधिक कार्यकाल)
- मीरा कुमार → प्रथम महिला अध्यक्ष

निर्वाचन
सदस्य अपने में से ही

कार्यकाल
अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक

हटाने की प्रक्रिया
प्रस्ताव → L.S. (चर्चा) → प्रभावी बहुमत → पारित

- अध्यक्ष को 14 दिन का नोटिस
- चर्चा में भाग ✓
- पीठासीन अधिकारी ✗
- सदन कार्यवाही में भाग ✓
- मत ✓ · निर्णायक मत ✗

शक्तियाँ
1) L.S. बैठकों → अध्यक्षता
2) L.S. → नियमों लागू / अनुशासन
3) धन विधेयक पर निर्णय
4) निर्णायक मत
5) दल-बदल में निर्णय
6) सदस्यों का त्यागपत्र
7) संसदीय प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता
8) संसदीय समितियों → अध्यक्ष / सदस्य → नियुक्ति

लोकसभा उपाध्यक्ष

- निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया → अध्यक्ष के समान
- कार्यकाल → L.S. भंग होने तक
- कार्य → अध्यक्ष अनुपस्थिति → L.S. बैठकों → अध्यक्षता

(10 सदस्यों का पैनल)
- L.S. सदस्य बनाते
- L.S अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित → बैठकों की अध्यक्षता

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष → पद रिक्त → राष्ट्रपति → अस्थायी अध्यक्ष (नियुक्त)

Spring Board ACADEMY

प्रोटेम स्पीकर

- नवनिर्वाचित L.S. → राष्ट्रपति → प्रोटेम स्पीकर (वरिष्ठतम सदस्य) नियुक्त
- कार्य
  - L.S. सदस्यों शपथ
  - L.S अध्यक्ष → निर्वाचन
    - समय + तिथि → राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- शपथ → राष्ट्रपति
- अध्यक्ष के निर्वाचन → पद समाप्त

• 18 वीं L.S (2024) → भर्तृहरि महताब

राज्यसभा

सभापति
- उपराष्ट्रपति R.S. का पदेन सभापति
- शक्तियाँ → लोकसभा अध्यक्ष के समान
  - अपवाद
    - धन विधेयक
    - संयुक्त बैठक
    - संसदीय प्रतिनिधि मण्डल (अन्तर्राष्ट्रीय मंच)

उपसभापति
- निर्वाचन व हटाने की प्रक्रिया → लोकसभा अध्यक्ष (समान)
- कार्य → सभापति (अनुपस्थिति) → बैठकों की अध्यक्षता

सदस्यों का पैनल
- R.S. सदस्यों द्वारा
- सदस्य संख्या निश्चित नहीं
- सभापति + उपसभा. → अनुपस्थिति → बैठकों की अध्यक्षता

सभापति + उपसभापति → पदरिक्त → राष्ट्रपति → अस्थायी सभापति → नियुक्त

राज्यसभा

- Art 89 → सभापति (उपराष्ट्रपति); उपसभापति
- Art 90 → उपसभापति → कार्यकाल; हटाने की प्रक्रिया
- Art 91 → सभापति → अनुपस्थिति → कार्यनिर्वहन → उपसभापति; पैनल
- Art 92 → पद से हटाने → प्रस्ताव → विचाराधीन → पीठासीन अधिकारी X

लोकसभा

- Art 93 → अध्यक्ष; उपाध्यक्ष → निर्वाचित
- Art 94 → लोकसभा अध्यक्ष + उपाध्यक्ष → कार्यकाल; हटाने की प्रक्रिया
- Art 95 → अध्यक्ष → अनुपस्थिति → कार्य निर्वहन → उपाध्यक्ष; पैनल
- Art 96 → पद से हटाने → प्रस्ताव → विचाराधीन → पीठासीन अधिकारी नहीं

Art 97 → वेतन तथा भत्ते
- L.S.
  - अध्यक्ष
  - उपाध्यक्ष
- R.S.
  - सभापति
  - उपसभापति

Art 98 → राज्यसभा व L.S.
- पृथक्²
  - ↓ सचिवालय

Art 99 → सांसदों की शपथ
- ↓ (प्रोटेम स्पीकर) दिलाता है
- ↓ अनुसूची-3 के ~~तहत~~ प्रारूप

Art 100 → गणपूर्ति (Quorum)
- संविधान → 10%
- L.S. व R.S. → 1/3

Art 101 → स्थानों का रिक्त होना
- त्यागपत्र
- न्यायालय चुनाव रद्द कर दें
- राज्यपाल नियुक्त हो जाये
- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो
- बिना अनुमति 60 दिन अनुपस्थित
- चुनाव
  - L.S. व R.S. दोनों के लिए निर्वाचित → 10 दिन (एक स्थान रिक्त) → R.S. सदस्यता समाप्त
  - पहले सदन का सदस्य बाद में दूसरे सदन के लिए निर्वाचित → पहले सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त
  - L.S. की दो सीटों निर्वाचित → 14 दिन (एक स्थान रिक्त) → अन्यथा दोनों स्थान रिक्त
  - संसद + राज्यविधानमण्डल निर्वाचित → 14 दिन (एक स्थान रिक्त) → वरना संसद सदस्यता समाप्त

Art → 102 → सांसदों की अयोग्यताएँ
1) भारत का नागरिक नहीं
2) दिवालिया घोषित
3) मानसिक रूप से असक्षम
4) लाभ के पद पर
- संसद द्वारा निर्धारित (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 में)
  - चुनाव
    - चुनावी अपराध + भ्रष्ट आचरण (दोषी)
    - चुनावी खर्च → ब्यौरा (समय पर) → विफल
  - सरकारी
    - कार्य
    - ठेका } रुचि
    - सेवा
  - सरकारी सेवा → बर्खास्त → भ्रष्टाचार निष्ठाहीनता
  - सजा → ≥2 साल → निवारक निरोध
  - समूहों में शत्रुता व रिश्वत को बढ़ाना
  - सामाजिक बुराई
    - बाल विवाह
    - सती प्रथा
    - बढ़ाना संलिप्त

Art-103 :- सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय
- ↓ राष्ट्रपति
- ECI सलाह से

Art 104 → 500₹ जुर्माना
- ↓ संसद का सदस्य नहीं
- ↓ कार्यवाही में भाग लेने पर

Springboard Academy

Art 105 :- सांसदों, संसदीय समितियों, सदन के विशेषाधिकार

सामुहिक
- सदन → कार्यवाही → प्रकाशन → रोक (44 C.A.–1978 रोक हटादी)
- गुप्त बैठक (Guest बाहर) → कार्यवाही → प्रकाशन नहीं
- कार्यवाही के नियम स्वयं
- अनुशासन हीनता
  - Guest → बाहर
  - सदस्य → बर्खास्त, निष्कासन, निंदा प्रस्ताव
- अर्द्धन्यायिक शक्तियाँ
- पुलिस व कानूनि कार्यवाही ×
- न्यायालय हस्तक्षेप ×
- सदन झूठी सूचना ×
- सदस्य – पुलिस कार्यवाही → तत्काल सूचना

व्यक्तिगत
- वाक व अभिव्यक्ति
- आपराधिक मामले → पेशी पर जाने से छूट
- Civil मामले → सत्र → 40 दिन पहले / दौरान / 40 दिन बाद

Art 106 → संसद — सदस्यों
- वेतन
- भत्ते

→ निर्धारण

Art 107 → विधेयक की पुर: स्थापना एवं पारित होने सम्बन्धी प्रावधान
→ तीन चरण में पारित

प्रथम वाचन
→ • सामान्य परिचय
• गजट में प्रकाशित तो प्रथम पठन

द्वितीय वाचन
- सामान्य चर्चा
  - चर्चा समय का निर्धारण
  - समिति → प्रवर / संयुक्त
  - समाचार पत्र प्रकाशन
- समिति
  - Bill खण्डों में विभाजित
  - विस्तार से चर्चा
  - संशोधन
- विचार-विमर्श
  - विस्तार से चर्चा
  - संशोधन
  - मतदान से पारित

तृतीय वाचन
- समग्र Bill पर चर्चा
- संशोधन × केवल व्याकरण अशुद्धि दूर
- मतदान विधेयक पारित

पहले सदन से पारित → दूसरे सदन में → • सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहरायी
• 6 माह पास → राष्ट्रपति sign → act

Art 108 → संयुक्त बैठक → दोनों सदनों में टकराव → राष्ट्रपति → संयुक्त बैठक
- अध्यक्षता
  - L.S अध्यक्ष
  - L.S. उपाध्यक्ष
  - R.S उपसभापति
  - सदस्यों में से
- नियम → L.S.
- सामान्य + वित्त विधेयक ⇓ संयुक्त बैठक
- धन + संविधान संशोधन विधेयक ⇓ संयुक्त बैठक नहीं

संयुक्त बैठक → 3 बार →
- 1962 में → दहेज प्रतिषेध act 1961
- 1978 → बैंक सेवा आयोग act 1977
- 2002 → आंतकवाद निवारक act – 2002

Art → 109 → धन विधेयक प्रक्रिया (सरकारी विधेयक)
→ राष्ट्रपति पूर्वानुमति → L.S. पेश
- अध्यक्ष → निर्णय (अंतिम निर्णय) → धनविधेयक → है / नहीं
- पारित → R.S. (14 दिन, परिवर्तन ×, सुझाव) → पारित → राष्ट्रपति → पुनर्विचार ×

Art 110 → धन विधेयक की परिभाषा

- कर
  - अधिरोपण
  - उत्सादन
  - परिवर्तन
  - परिहार
  - विनियमन
- ऋण → केन्द्र सरकार → उधार → विनियमन
- संचित निधि + आकस्मिक ⇓ अभिरक्षा
- संचितनिधि → धन का विनियोग
- संचित निधि + लोक लेखानिधि ⇓ अभिरक्षा (धन प्राप्ति, व्यय, अंकेक्षण)
- भारत की संचित निधि → व्यय घोषित करना

Art 117 → वित विधेयक

- **Art 110**
  - ↓ केवल art 110 के प्रावधान हो
  - राष्ट्रपति पूर्वानुमति
  - केवल L.S. ↓ अध्यक्ष प्रमाणित
    - राष्ट्रपति / R.S. → भेजते समय
- **Art 117(1)**
  - • Art 110 + अन्य प्रावधान हो
  - • राष्ट्रपति पूर्वानुमति ↓ पेश
  - • केवल L.S. ↓ इसके बाद ↓ साधारण विधेयक ↓ पारित
- **Art 117(3)**
  - • Art 110 का प्रावधान × but संचित निधि से सम्बन्धि प्रावधान
  - • राष्ट्रपति पूर्वानुमति ×
  - • किसी भी सदन में
  - • राष्ट्रपति → अनुशंषा ↓ चर्चा

Art → 111 → विधेयक पर राष्ट्रपति

- ↓ सहमति
- (3 विकल्प)
  - सहमति देना
  - सहमति रोकना
  - पुनर्विचार के लिए वापस भेजना

संचित निधि
- II^nd अनुसूची
- S.C. के व्यय
- UPSC के खर्चे
- CAG के खर्चे
- सरकार के सभी ऋण

Art 112 → वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

- राष्ट्रपति + वित्त मंत्री ↓ बजट पेश → विभागीय समितियाँ (24) → अनुदान माँग → विपक्ष कटौती प्रस्ताव (नीतिगत, मितव्ययता, सांकेतिक) → अनुदान की माँग पारित → विनियोग विधेयक
- विनियोग विधेयक →
  - व्यय संचित निधि भारित → L.S. केवल चर्चा
  - व्यय संचित निधि भारित × → L.S में → चर्चा, मतदान

कटौती प्रस्ताव

- नीतिगत कटौती
  - सरकार की पूर्व नीति के प्रति असहमति
  - अनुदान माँग ↓₹
  - वैकल्पिक नीति
- मितव्ययता प्रस्ताव
  - बजट की फिजुलखर्ची
    - फिजुलखर्ची उजागर
  - कटौती राशि निश्चित नहीं
- सांकेतिक कटौती
  - योजना विशेष की आलोचना
  - 100₹ की कटौती प्रस्ताव

Art 113 → अनुदान की माँगें

Art 114 → विनियोग विधेयक

Art 115 → अन्य अनुदान (राष्ट्रपति की पूर्वानुमति)

- अनुपूरक
  - किसी सेवा
  - आवंटित राशि
  - अपर्याप्त तब
- अतिरिक्त
  - नई सेवा (बजट में उल्लेख ×)
  - धन की आवश्यकता
- अधिक
  - किसी सेवा पर
  - बजट आवंटित राशि
  - अधिक व्यय तब
  - राष्ट्रपति
  - लोक लेखा समिति

अंतरिम बजट :
- सरकार का कार्यकाल कम बचा है तब
- ताकी मूल्य बजट अगली सरकार पेश करे
- संविधान में उल्लेख नहीं

Art 116 → लेखानुदान, ऋणानुदान/प्रत्ययानुदान व असाधारण/अपवाद अनुदान

1) लेखानुदान
- बजट प्रक्रिया - मई माह में पुरी
- वित्त वर्ष → 1 अप्रैल
- इस अवधि (मई+अप्रैल) खर्चों पूरा करने

2) प्रत्ययानुदान
- सरकार को
- आकस्मिक रूप से
- धन आवश्यकता
- बिना कारण बताये (राष्ट्रपति पूर्वानुमति)

3) अपवाद अनुदान
- सेवा जिसका बजट में प्रावधान ×
- सरकार को धन आवश्यकता
- राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ×

4) सांकेतिक अनुदान
- एक सेवा का धन
- दूसरी सेवा में स्थानान्तरित
- अनुदान (1₹) माँग - L.S.
- समक्ष

Art 118 :- कार्यों के सुचारू संचालन के लिए संसद स्वयं नियम बना सकती है

1) प्रश्नकाल → 11 - 12 बजे तक
- सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पुछते हैं

2) शून्यकाल → 12 - 1 बजे तक
- भारतीय नवाचार (1962)

3) लंच → 1 - 2 बजे तक

4) शाम की कार्यवाही → 2 बजे से अंत तक
- विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर चर्चा

राज्यसभा
- शून्यकाल → 11 - 12 बजे तक
- प्रश्नकाल → 12 - 1 बजे तक

प्रश्नों के प्रकार

तारांकित प्रश्न
- मौखिक उत्तर
- अनुपूरक प्रश्न
- प्रतिदिन → L.S. → 20 प्रश्न
  - R.S. → 15 प्रश्न

अतारांकित प्रश्न
- लिखित उत्तर
- अनुपूरक प्रश्न नहीं
- प्रतिदिन → L.S. → 230 प्रश्न (25 विशेष)
  - R.S. → 160 प्रश्न
- एक सांसद एक दिन → 10 प्रश्न

अल्प सूचना प्रश्न
- उत्तर 10 दिन से कम समय में
- उत्तर मौखिक
- अनुपूरक प्रश्न
  - L.S. → 1 प्रश्न
  - R.S. → 1 प्रश्न

महत्वपूर्ण प्रस्ताव

विश्वास प्रस्ताव
- L.S. सत्ता पक्ष
  - बहुमत सिद्ध करने
  - गठबन्धन सरकार
  - पारित नहीं → सरकार गिर जाती है

अविश्वास प्रस्ताव
- L.S. विपक्ष द्वारा
- 50 सदस्य sign
- अविश्वास का कारण ×
- समस्त मंत्रिपरिषद् → विरुद्ध
- पारित → सरकार गिर जायेगी

निंदा प्रस्ताव
- L.S. विपक्ष द्वारा
- sign – 50 सदस्य
- कारण बताना आवश्यक
- मंत्री / मंत्रीयों समूह / मंत्रिपरिषद् → विरुद्ध

स्थगन प्रस्ताव
- किसी घटना → तत्काल चर्चा
  - सदन की कार्यवाही → स्थगित
- केवल L.S.
- sign → 50 सदस्य
- विशेषता → स्पष्ट व तथ्यपरक
  - एक ही विषय
  - जनहित विषय
  - तुरंत चर्चा → ऐसा विषय

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव
- भारतीय नवाचार (1954)
- विशेष घटना → सदन का ध्यान आकर्षित करना
- एक दिन में – 2 प्रस्ताव
- 5 सदस्यों के नाम
- चर्चा व मतदान नहीं
- दोनों सदनों में पेश

अल्पकालिन चर्चा
- प्रारम्भ → 1953 (भारतीय नवाचार)
- लोकमहत्व के विषय
- 2 अतिरिक्त सदस्यों → sign
- कार्यमंत्रणा समिति की सहमति → आवश्यक
- चर्चा (समय)
  - L.S – 2 घण्टे
  - R.S → 2:30 घण्टे

नियम 377
- प्रारम्भ → 1966 (भारतीय नवाचार)
- L.S. का नियम
- लोकमहत्व का विषय → किसी अन्य चर्चा के दौरान नहीं उठाया
- प्रतिदिन 20 प्रश्न

समाप्ति प्रस्ताव

सामान्य समाप्ति
विधेयक पर चर्चा पूरी अर्थात चर्चा के बिन्दुओं को दोहराव होने लगे → सदन की चर्चा समाप्त

कंगारू समाप्ति
समयाभाव होने पर विधेयक के केवल महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा → चर्चा समाप्त

गिलोटिन समाप्ति
समयाभाव → चर्चा का समय पहले से निर्धारित समय समाप्त → चर्चा समाप्त

Spring Board ACADEMY

* लोकसभा भंग होने पर किसी विधेयक पर प्रभाव :
- L.S. सम्पर्क में → समाप्त
- राष्ट्रपति के सम्पर्क में → समाप्त नहीं

विधेयक L.S. भंग → साथ समाप्त
1) Bill → L.S. → पेश / विचाराधीन
2) Bill → L.S. → पारित; R.S. → विचाराधीन
3) Bill → R.S. → पारित; L.S. → विचाराधीन

विधेयक L.S. भंग → समाप्त नहीं
1) Bill → R.S. → पेश / विचाराधीन
2) Bill → R.S. → पेश, किन्तु L.S. नहीं भेजा
3) राष्ट्रपति → विचाराधीन / पुनर्विचार हेतु लौटाया / संयुक्त बैठक → Bill

संसदीय समितियाँ
- उद्भव → ब्रिटेन से
- सर्वाधिक प्रयोग → अमेरिका
- भारत में प्रारम्भ → भारत सरकार act - 1919 से
- पहली बार गठन → 1921
- दो प्रकार → स्थायी, अस्थायी
- गणपूर्ति → 1/3

स्थायी समितियाँ

प्राक्कलन समिति
- सदस्य → 30 से (पहले - 25 → 1956)
- सदस्य L.S. से
- निर्वाचन → आनुपातिक प्रतिनिधित्व से
- कार्यकाल → 1 वर्ष
- मंत्री सदस्य नहीं
- कार्य → बजट प्रावधानों समीक्षा

लोक लेखा समिति
- सदस्य → 22 { L.S. → 15, R.S. → 7 }
- निर्वाचन → आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- अध्यक्ष → विपक्षी दल से
- कार्यकाल → 1 वर्ष
- मंत्री सदस्य नहीं
- कार्य → CAG प्रतिवेदन समीक्षा; अधिक अनुदान → अनुमति

लोक उपक्रम समिति
- सदस्य → 22 { L.S. → 15, R.S. → 7 }
- निर्वाचन → आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- कार्यकाल → 1 वर्ष
- मंत्री सदस्य नहीं
- कार्य → CAG की लोक उपक्रम रिपोर्ट समीक्षा

कार्य मंत्रणा समिति
- L.S. व R.S. के लिए अलग²
- L.S. समिति → सदस्य - 15, अध्यक्ष → L.S. अध्यक्ष
- R.S. समिति → सदस्य - 11, अध्यक्ष → R.S. सभापति
- कार्य → दैनिक कार्य

विभागीय स्थायी समितियाँ
- आरम्भ → अमेरिका
- 1993 → 17 विभागीय समितियाँ
- 2004 → 24
- प्रत्येक समिति → सदस्य → 30 (L.S. 21, R.S. 10)
- 16 समितियों → अध्यक्ष → नियुक्ति → L.S. अध्यक्ष द्वारा
- 8 समितियों → अध्यक्ष → नियुक्ति → R.S. सभापति
- कार्य → बजट की समीक्षा

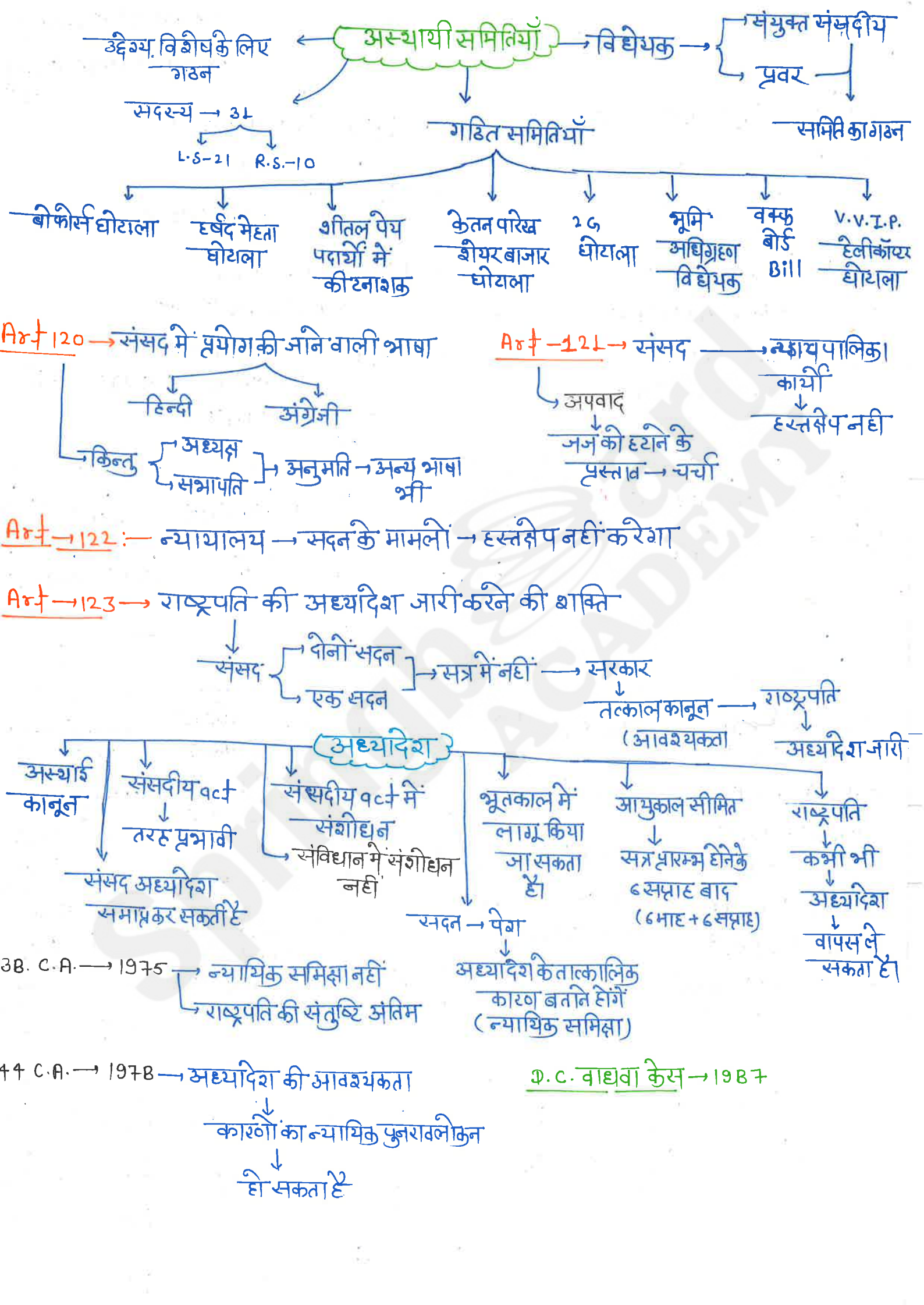

अस्थायी समितियाँ

- उद्देश्य विशेष के लिए गठन
- सदस्य → 31
  - L.S.–21
  - R.S.–10
- विधेयक → संयुक्त संसदीय / प्रवर → समिति का गठन

गठित समितियाँ

- बोफोर्स घोटाला
- हर्षद मेहता घोटाला
- शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक
- केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला
- 2G घोटाला
- भूमि अधिग्रहण विधेयक
- वक्फ बोर्ड Bill
- V.V.I.P. हेलीकॉप्टर घोटाला

Art 120 → संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- हिन्दी
- अंग्रेजी
- किन्तु {अध्यक्ष / सभापति} → अनुमति → अन्य भाषा भी

Art –121 → संसद → न्यायपालिका कार्यों → हस्तक्षेप नहीं
- अपवाद → जज को हटाने के प्रस्ताव → चर्चा

Art → 122 :– न्यायालय → सदन के मामलों → हस्तक्षेप नहीं करेगा

Art → 123 → राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- संसद {दोनों सदन / एक सदन} → सत्र में नहीं → सरकार → तत्काल कानून (आवश्यकता) → राष्ट्रपति → अध्यादेश जारी

अध्यादेश

- अस्थाई कानून
- संसद अध्यादेश समाप्त कर सकती है
- संसदीय act → तरह प्रभावी
- संसदीय act में संशोधन
- संविधान में संशोधन नहीं
- सदन → पेश → अध्यादेश के तात्कालिक कारण बताने होंगे (न्यायिक समिक्षा)
- भूतकाल में लागू किया जा सकता है
- आयुकाल सीमित → सत्र प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह बाद (6 माह + 6 सप्ताह)
- राष्ट्रपति → कभी भी → अध्यादेश → वापस ले सकता है

38. C.A. → 1975 →
- न्यायिक समिक्षा नहीं
- राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम

44 C.A. → 1978 → अध्यादेश की आवश्यकता → कारणों का न्यायिक पुनरावलोकन → हो सकता है

D.C. वाधवा केस → 1987

न्यायपालिका

→ USA से प्रेरित
→ Art.(124-147)

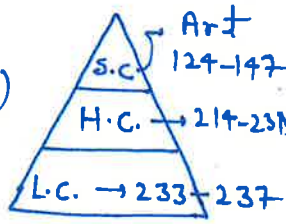

S.C. → Art 124-147
H.C. → 214-231
L.C. → 233-237

1773 → रेग्युलेटिंग एक्ट
↓
कलकत्ता S.C.

1862 → 3 H.C. → बॉम्बे
मद्रास
बंगाल

1866 → इलाहाबाद H.C.

1947 → 11 प्रांत – H.C.

→ प्रीवी काउन्सिल लन्दन

परिसंघीय न्यायालय ←
- राज्य v/s राज्य
- केन्द्र v/s राज्य
- केन्द्र + राज्य v/s राज्य

↓

उच्चतम न्यायालय :- (28 Jan. 1950 उद्घाटन)

Art 124 → भारत का एक S.C. होगा

→ 1 (मुख्य न्यायाधीश) + 7 अन्य जज
↓
वर्तमान – 1+33

→ संसद न्यायाधीशों → संख्या बढ़ा सकती

→ राष्ट्रपति → नियुक्ति
↓
CJI के परामर्श से

राष्ट्रपति
↓
जजों की नियुक्ति किसकी सलाह से

मंत्रि परिषद → Art 74 सलाह → राष्ट्रपति

CJI → Art 124 परामर्श → राष्ट्रपति

परामर्श शब्द का तात्पर्य

प्रथम न्यायाधीश वाद
↓
1982

(S.P. गुप्ता v/s भारत सं.)

→ S.C. → Art 124
↓
व्याख्या की

→ परामर्श का तात्पर्य
↓
राष्ट्रपति व CJI
↓
विचारों का आदान प्रदान

→ S.C. → जज → नियुक्ति मंत्रीपरिषद की सलाह

द्वितीय न्यायाधीश वाद → 1993

→ S.C. ने पूर्ववर्ती निर्णय उलट दिया

1) नियुक्ति (जज) → राष्ट्रपति
↓
किसकी सलाह से
↓
सलाह बाध्य (CJI) 1+2 न्यायाधीशों की सलाह से
↓
राष्ट्रपति सलाह नहीं माने
↓
कारण बताना

2) S.C. निर्णय → वरिष्ठतम जज
↓
CJI नियुक्त

वरिष्ठता का उल्लंघन
→ केशवानन्द भारती वाद 1973
→ ADM जबलपुर v/s शिवकांत शुक्ला वाद (1976)

तृतीय न्यायाधीश वाद
1998

1+4 जजों का कोलेजियम
↓
सलाह → राष्ट्रपति
↓
जज नियुक्त

निर्णय
- 3:2 → सलाह बाध्य नहीं
- 5:0 / 4:1 → सलाह बाध्य
↓
नहीं माने
↓
कारण बताना

Spring Board Academy

99वाँ C.A. act → 2015

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) → 6 सदस्य → CJI, H.C न्यायाधीश – 2, विधिमंत्री, 2 अन्य सदस्य → प्रख्यातविधिवेता, OBC/SC/ST/महिला/अल्पसंख्यक

2 अन्य सदस्य → नियुक्ति (3 वर्ष) (पुनः नियुक्ति नहीं)

3 सदस्य समिति → PM, विपक्ष का नेता, CJI

कार्य:
1) नियुक्तियों में सलाह → CJI, H.C जज, S.C जज
2) जजों का स्थानान्तरण

2015 में शून्य घोषित → कारण → शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका → विरुद्ध

S.C. जज की योग्यताएँ → 5 वर्ष तक → H.C. में जज; 10 वर्ष तक → H.C → वकील; प्रख्यात विधिवेता

S.C. जज कार्यकाल :— संसद द्वारा निर्धारित; 65 वर्ष तक

S.C. जज को पद से हटाने की प्रक्रिया → कारण → अक्षमता, सिद्ध कदाचार

प्रस्ताव → L.S (100 सदस्य) या R.S. (50 सदस्य) → सदन का सभापति या अध्यक्ष

प्रस्ताव → अस्वीकार ×; स्वीकार → (यहाँ तक न्यायिक समिक्षा हो सकती है) 3 सदस्य समिति (जाँच) → CJI या अन्य जज; H.C. → C.J.; विख्यात विधिवेता

आरोप सही → प्रस्ताव → दूसरे सदन में → दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित → राष्ट्रपति → sign → हट जायेगा

Art 125 → न्यायाधिशों → वेतन, भत्ते, पेंशन, सेवा शर्तें
- CJI → 2 लाख 80 हजार
- अन्य जज → 2 लाख 50 हजार
- पेंशन → वेतन का 50%

Art-126 → कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश → CJI → अनुपस्थित, अचानक पद रिक्त → S.C. जज ← राष्ट्रपति → कार्यकारी CJI नियुक्त

Art 127 → तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
- कारण → गणपूर्ति के लिए
- नियुक्ति → CJI द्वारा → पूर्वानुमति → राष्ट्रपति; सलाह → H.C. → C.J से
- योग्यता → S.C जज बनने की योग्यता रखने वाला H.C. का जज

Art 128 → सेवानिवृत न्यायाधीशों
↓
नियुक्ति

- कारण → कार्यभार अधिक
- नियुक्ति → CJI
  - पूर्वानुमति → राष्ट्रपति
  - सहमति → सेवानिवृत जज
- नियुक्त → S.C | H.C का सेवानिवृत जज
- वेतन → राष्ट्रपति तय
- कार्यकाल – 2 वर्ष
- पदनाम प्रयोग नहीं

Art 130 → उच्चतम न्यायालय का स्थान
→ दिल्ली
→ किन्तु CJI → राष्ट्रपति → अनुमति → S.C. अन्य पीठ
↓
स्थापना

Art 129 → अभिलेखिय न्यायालय + न्यायालय की अवमानना
(संविधान द्वारा परिभाषित) ×

अभिलेखिय न्यायालय → S.C. का निर्णय
↓
भारत के राज्यक्षेत्र
↓
other न्यायालयों
↓
अनुकरणीय

- S.C → निर्णय → other न्यायालय
  - समीक्षा
  - आलोचना
  ↓
  ×

* न्यायिक अवमानना act
↓
1971
→ न्यायिक अवमानना
  - परिभाषित
  - जाँच व दण्ड प्रावधान
- 2 प्रकार
  - नागरिक अवमानना ↓ आदेश नहीं मानना
  - आपराधिक अवमानना ↓ न्यायालय का अपमान

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता

- आरम्भिक ↓ Art – 131
- अपिलीय ↓ 132, 133, 134
- Art 136 ↓ SLP
- Art 129
- Art 142 ↓ पूर्ण न्याय
- Art 143 ↓ परामर्शदात्री
- Art 32 ↓ रिट अधिकारिता

Art 131 → आरम्भिक अधिकारिता (सुनवाई सिधे S.C.)
↓
- केन्द्र + राज्य विवाद
- राज्य – राज्य विवाद
- केन्द्र, राज्य v/s राज्य विवाद
- Art 71

आरम्भिक अधिकारिता → अपवाद → S.C में सुनवाई नहीं
1. संविधान पूर्व की सन्धि, समझौते, करार
2. संधि अथवा समझौते में पहले से प्रावधान
3. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
4. वित आयोग → सौंपे गए मामले
5. वाणिज्यिक मामले, 6) केन्द्र-राज्य {व्यय, पेंशन} विवाद
7. केन्द्र के विरुद्ध राज्यों के द्वारा नुकसान की भरपाई

अपिलीय अधिकारिता

Art 132 → संवैधानिक मामले
→ H.C. {निर्णय, प्रमाण} देगा
↓
लोकमहत्व का विधि का सारवान प्रश्न
⇓
S.C. में अपील

Art 133 → दिवानी मामले
→ H.C. {निर्णय, प्रमाण}
↓
लोकमहत्व की विधि का सारवान प्रश्न
↓
S.C. में अपील

Art 134 आपराधिक मामले
→ H.C → प्रमाण दे
↓
S.C. अपील

अपवाद → 1) → L.C. → बरी कर दिया
→ H.C → 10 साल सजा

2) L.C → से मामला – H.C. → अपने पास ले लिया
आरोपी 10 वर्ष सजा ←

Art 135 → संघीय न्यायालय शक्तियाँ → H.C. के पास

Art 136 → विशेष अनुमति याचिका (SLP)

↓

S.C. निम्न मामलों अनुमति दे सकता है

1. किसी भी प्रकार का केस
2. किसी भी स्तर का केस
किसी भी कोर्ट में हो

अपवाद → सैन्य अधिकरण का, कोर्ट मार्शल → केस हो

Art 137 → S.C. → अपने निर्णय → पुनः समीक्षा

Art 138 → S.C. → अधिकारिता में वृद्धि → संसद द्वारा
1) संघ सूची के विषय
2) संघ व राज्य के मध्य समझौते से भी प्रदान

Art 139 → S.C. → रिट अधिकारिता में वृद्धि → संसद द्वारा
→ Art 32 के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी

139(A) → कुछ मामलों का स्थानान्तरण
- एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में
- S.C. अपने पास स्थानांतरित

Art 140 → S.C. → आनुषांगिक (सहायक) शक्तियों
↓
संसद द्वारा

Art 141 → S.C. → घोषित विधि → राज्यक्षेत्र
↓
सभी न्यायालयों
↓
बाध्यकारी

Art 147 → निर्वचन (विधि का सारवान प्रश्न)

Art-142 → S.C. → आदेशों का प्रवर्तन (पूर्ण न्याय)

→ S.C. आदेश लागू करवाने
- विधायिका
- कार्यपालिका
↓
शक्तियाँ अपने हाथ में

- आरम्भ में → वंचित वर्ग, पर्यावरण → मामलों में प्रयोग
- वास्तविक प्रयोग
  - → यूनियन कार्बाइड केस – 1989
  - → S.C. बार एसोसिएशन बनाम भारत – 1998

Art 143 → परामर्शदात्री अधिकारिता
→ राष्ट्रपति → S.C. से (सलाह देने)
↓
परामर्श
- विधि का प्रश्न
- तथ्य का प्रश्न

- बाध्य है → संविधान पूर्व का मामला
- बाध्य नहीं → संविधान के बाद का मामला

Art 144 → सिविल व न्यायिक अधिकारी
↓
S.C. → सहायक

Art-145 → S.C. → नियम-विनियम स्वयं बनायेगा
↓
अपवाद →
- संवैधानिक पीठ – 5 जज
- → खुले न्यायालय में निर्णय
- → असहमत जज → निर्णय दे

Art 146 → S.C. → अधिकारी, कर्मचारी
- नियुक्ति
- सेवा शर्तें
- वेतन-भत्ते
- पेंशन

→ निर्धारण
↓
- CJI
- अन्य जज या प्रतिनिधि

- नियुक्ति → UPSC परामर्श से
- वेतन-भत्ते → राष्ट्रपति अनुमोदन
- S.C. → व्यय → संचित निधि पर भारित

उच्च न्यायालय → Art → (214-231)
→ भाग → (V)

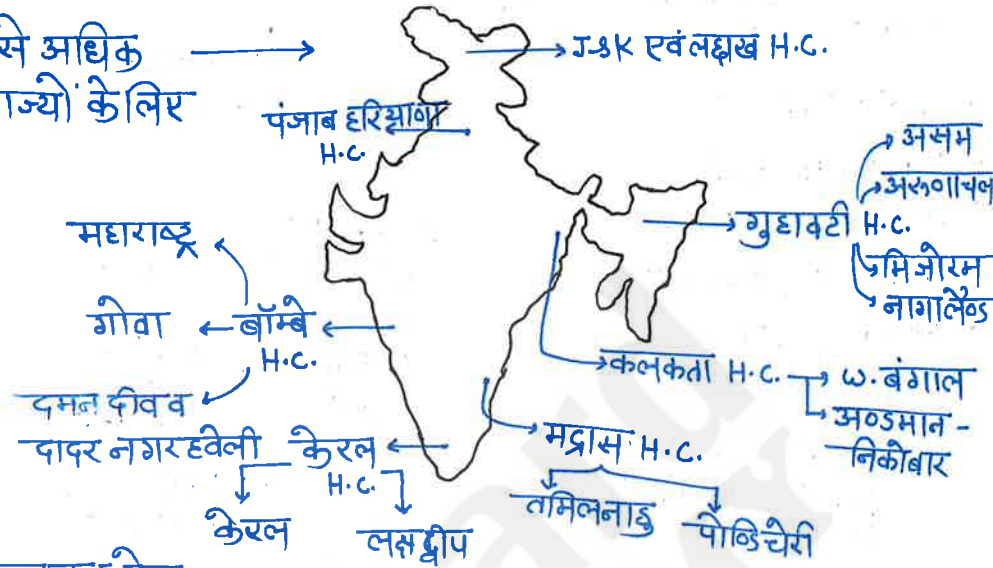

Art 214 :— प्रत्येक राज्य → 1 H.C. होगा
└→ 7वाँ C.A. → 1956 → 1 H.C. → 1 से अधिक राज्यों के लिए →

- वर्तमान → 25 H.C.
- 25 H.C. → आन्ध्रप्रदेश H.C.
- 2013 में H.C. बने → मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा

Art 215 → H.C. → अभिलेखिय न्यायालय होगा।

Art 216 → H.C. → गठन
└→ जजों की संख्या → निर्धारण → राष्ट्रपति द्वारा

Art 217 → नियुक्ति व कार्यकाल
- नियुक्ति → राष्ट्रपति → परामर्श से → CJI + S.C. वरिष्ठतम जज; राज्यपाल; H.C. → C.J.
- कार्यकाल → 62 वर्ष

योग्यता → भारत का नागरिक
└→ 10 वर्ष तक H.C. वकील
या
10 वर्ष तक L.C. → न्यायधीश

Art 218 → हटाने की प्रक्रिया → S.C. जज को हटाने के समान

Art 219 → शपथ → राज्यपाल द्वारा

Art 220 → स्थायी न्यायधीश बहाल → प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध

Art 221 → न्यायधीशों का वेतन

Art 222 → न्यायधीशों का स्थानान्तरण → राष्ट्रपति द्वारा → परामर्श → कॉलेजियम → परामर्श → सम्बन्धित दोनों H.C. के C.J से

Art 223 → कार्यवाहक C.J. की नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा
(कारण) → C.J. अनुपस्थित; स्थान रिक्त

Art 224 → अतिरिक्त व कार्यवाहक जजों की नियुक्ति
- नियुक्ति → राष्ट्रपति
- कारण → कार्यभार अधिक
- अधिकतम नियुक्ति वर्ष — 2 साल

224(A) → सेवानिवृत न्यायाधीश की नियुक्ति
- नियुक्ति → H.C. → C.J. द्वारा (राष्ट्रपति की पूर्वानुमति)
- कार्यकाल → 2 वर्ष
- पदनाम का प्रयोग नहीं
- वेतन — भत्ते → राष्ट्रपति द्वारा तय

Art → 225 :— H.C. की अधिकारिता

- आरम्भिक
  - 1) विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार, कम्पनी मामले
  - 2) मूल अधिकारों
  - 3) MP | MLA चुनाव
  - 4) राजस्व मामले
  - 5) L.C. भेजे गये मामले
  - 6) निश्चित राशि के मामले
    - दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल → आरम्भिक अधिकारिता
- अपीलीय अधिकारिता
  - जिला व सत्र न्यायालय निर्णय
    - दिवानी मामले
      - प्रथम अपील → तथ्य व विधि का प्रश्न
      - द्वितीय अपील → विधि का प्रश्न
    - आपराधिक मामले
      - स्नात वर्ष से अधिक सजा
      - मृत्युदण्ड के मामले
  - H.C → एकल पीठ निर्णय → H.C की खण्डपीठ अपील
  - 1997 में स्पष्ट → H.C. निर्णय
    - प्रशासनिक, न्यायाधिकरण → निर्णय विरुद्ध → H.C. खण्डपीठ अपील

Art 226 → रिट अधिकारिता

- 1) बंदी प्रत्यक्षीकरण
- 2) परमादेश
- 3) प्रतिषेध
- 4) अधिकार पृच्छा
- 5) उत्प्रेषण

* चन्द्रकुमार वाद – 1997 → रिट अधिकारिता → संविधान का मूल ढाँचा

Art 127 → H.C. → सभी न्यायालयों → अधीक्षण शक्ति

Art 128 → H.C. → कुछ मामलों का → स्थानान्तरण

Art 129 → H.C → कर्मचारी, अधिकारी → C.J. → H.C.

- नियुक्ति → परामर्श SPSC
- सेवा शर्तें
- वेतन भत्ते → अनुमति → राज्यपाल

Art 130 → H.C. → अधिकारिता में वृद्धि

- संसद द्वारा
- (केन्द्रशासित प्रदेशों तक)

Art 131 → दो या अधिक राज्यों → साझे न्यायालय

* न्यायिक पुनरावलोकन :— न्यायपालिका → विधायिका, कार्यपालिका → निर्णयों, कार्यों → वैधता की समीक्षा

(संविधान में उल्लेख नहीं)

↓

Art द्वारा न्यायालय को शक्ति प्रदान

↳ Art → 13(2), 32, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 143, 145, 226, 246, 256

→ H.C का न्यायिक पुनरावलोकन

↳ Art → 226, 13(2)

H.C. → संसद + राज्य विधानमण्डल → अधिनियमों, आदेशों → समीक्षा

H.C. → केन्द्र + राज्य (केवल राज्य पर लागू)

समीक्षा → संविधान विरोधी → शून्य

• 42 C.A. → 1976 → H.C → न्यायिक पुनरावलोकन (केन्द्रीय Law) → शक्ति समाप्त

• 43 C.A. → H.C. → केन्द्रीय कानूनों → पुनरावलोकन → शक्ति वापस

* न्यायिक सक्रियता :— अधिकारों, मूल्यों, नैतिकता → सुरक्षित रखने → न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका

न्यायिक सक्रियता

सकारात्मक

न्यायपालिका → अपने कार्य → अतिरिक्त सक्रियता, तीव्रता व कुशलता से

↓

स्वघोषित सिद्धान्त

- न्याय माँगने व्यक्ति → न्यायपालिका
- केवल स्वयं के लिए न्याय
- निश्चित प्रक्रिया का पालन — न्याय हेतु

↳ 1979 → S.C. जज

P.N भगवती — V.R. कृष्णा अय्यर

↓

जनहित याचिका

(सर्वप्रथम → पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दायर की)

↓

(हुसैन आरा खातुन v/s बिहार राज्य)

नकारात्मक

न्यायपालिका → अधिक सक्रिय

विधायिका, कार्यपालिका → कार्यों हस्तक्षेप

- कारण → 1) संविधान व्याख्या अधिकार ↳ S.C. पास
  2) न्यायिक पुनरावलोकन
  3) Art 142 → S.C. निर्देशों का प्रवर्तन

→ विधायिका → संविधान संशोधन ✓ लेकिन न्यायालय → C.A. किए हैं

उदा. → Art 21 → विधि की सम्यक प्रक्रिया

→ Art 124 → कॉलेजियम व्यवस्था

→ Art 368 → बुनियादी ढाँचे की अवधारणा

न्यायिक सक्रियता

जनहित याचिका (PIL)

↳ न्यायिक सक्रियता का लोकप्रिय उपा.

↳ वर्तमान में सभी न्यायालय (PIL) स्वीकार

↳ पोस्टकार्ड शिकायतें

↳ समाचार पत्रों → समाचार → PIL के रूप स्वीकार

स्वतः संज्ञान

हस्तक्षेप

विधायिका मामले → विश्वास प्रस्ताव → फ्लोर टेस्ट; सदन की कार्यवाही → लाइव

कार्यपालिका मामले → U.P. → लोकायुक्त (नियुक्ति); CBI को निर्देश

आयोग

	ECI	CAG	NHRC	CIC	CVC
गठन	25 Jan 1950		12 oct 1993	12 oct 2005	11 feb 1964
संस्था	संवैधानिक, स्थायी स्वतंत्र	संवैधानिक	सांविधिक	सांविधिक	2003 वैधानिक
संरचना	1+2	1 सदस्य	1 + 7 + 5 S.C. पदेन 1 महिला	1+10	1+2
नियुक्ति	राष्ट्रपति	त्यागपत्र, शपथ, अवकाश • राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
कार्यकाल	6/65 वर्ष	6/65 वर्ष	3/70 वर्ष	GOI द्वारा निर्धारित	4/65 वर्ष
चयन समिति	P.M., विपक्ष नेता CM	—	PM, विपक्ष नेता, गृह मंत्री L.S. R.S लोकसभा अध्यक्ष, R.S. उपसभापति	P.M., विपक्ष नेता, CM	PM, विपक्ष नेता, गृह मंत्री
Removal	राष्ट्रपति S.C. जज के समान	राष्ट्रपति S.C. जज के समान	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
अयोग्यता	—	—	मानसिक रोगी, अपराधी, लाभ का पद, दिवालिया		
वेतन-भत्ते	संचित निधि X	संचित निधि पर भारित	संसद निर्धारित	GOI निर्धारित	संसद निर्धारित Same → UPSC

Springboard ACADEMY